प्रहरी

शासनादेश संग्रह

भाग-7

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखंड

ननूरखेड़ा, देहरादून

Email: uksiemat@gmail.com Ph/Fax : 0135-2780304

Website: siemat.uk.gov.in

संरक्षक

बंशीधर तिवारी (IAS)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

निर्देशन

बंदना गर्ब्याल
निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।

सम्पादन

अजय कुमार नौडियाल
अपर निदेशक,
सीमैट, उत्तराखण्ड।

सम्पादन सहयोग

1. डा0 एम.एस. बिष्ट, प्रोफेशनल (नीति, नियोजन एवं प्रबन्ध)।
2. डा0 एम.एम. उनियाल, प्रोफेशनल (शोध एवं मूल्यांकन)।
3. डा0 जे.एस. बिष्ट, जूनियर प्रोफेशनल (शोध एवं मूल्यांकन)।
4. डा0 विनोद ध्यानी, जूनियर प्रोफेशनल (नीति, नियोजन एवं प्रबन्ध)

संकलन एवं सहयोग

1. विनीत त्रिपाठी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सीमैट।
2. चतर सिंह नेगी, पुस्तकालयाध्यक्ष, सीमैट।
3. राजेन्द्र प्रसाद बडोला, लेखाकार, सीमैट।
4. रघुवीर सिंह बिष्ट, हॉस्टल सुप्रिन्टेन्डेन्ट,
5. सुनील पुरोहित, कम्प्यूटर आपरेटर, सीमै
6. सौम्य ढौंडियाल, वरिष्ठ सहायक।

टिप्पणी : प्रस्तुत शासनादेशों के संग्रह/मुद्रण में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि मानवीय त्रुटि सम्भव है। कृपया इन शासनादेशों का सन्दर्भ लेते समय मूल शासनादेशों का संदर्भ ले लिया जाय।

वर्ष 2023–24

निदेशक की कलम से...

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीमैट), उत्तराखण्ड द्वारा शासनादेश संग्रह 'प्रहरी' का 7वां संस्करण प्रकाशित करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस प्रकाशन में विद्यालयी शिक्षा एवं विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा अद्यतन जारी शासनादेशों को समाहित किया गया है।

किसी भी संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योजना, संगठन, ढ़ांचागत विकास एवं नियुक्ति, उपयुक्त दिशा–निर्देशन, समन्वय, अद्यतनीकृत अभिलेख एवं उपयुक्त बजट की आवश्यकता तो होती ही है इसी के साथ किसी भी प्रणाली के उपयुक्त संचालन हेतु विभागीय निर्देश एवं शासनादेशाों की भी नितांत आवश्यकता होती है। यही निर्देश व शासनादेश संस्थाओं के गतिशील एवं उपयुक्त रूपान्तरण हेतु उक्त सभी आयामों पर समय–समय पर दिशा निर्देशन देते हैं।

शासनादेशों एवं विभागीय आदेशों को समय एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तित एवं परिवर्धित किया जाता रहता है। विगत में प्रकाशित 6 शासनादेश संग्रह विद्यालयों, कार्यालयों एवं संस्थाध्यक्षों हेतु उनके दैनिक, प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों को सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में सहायक सिद्ध हुए हैं तथा कार्यालयाध्यक्षों एवं संस्थाध्यक्षों द्वारा इस तरह की सामग्री की मांग लगातार की जा रही है।

उक्त समस्त तथ्यों को संज्ञान में रखते हुए विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी, कार्मिक एवं शिक्षकों से संबंधित निर्देशों एवं शासनादेशों का संकलन कर प्रकाशित किया जा रहा है जो उनको अपने कार्यक्षेत्र में उपयुक्त निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करेगा।

'प्रहरी' के 7वें अंक को इस स्वरूप में लाने हेतु अपना योगदान देने वाली सीमैट की टीम एवं संकलनकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूं। पूर्व की भांति पाठकों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

बंदना गर्ब्याल
निदेशक
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सम्पादकीय

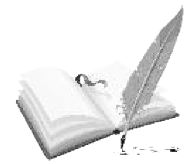

किसी भी संस्था अथवा संगठन के सुसंचालन हेतु एक्ट, नियम, शासनादेश एवं आदेशों की समुचित व सही जानकारी अत्यावश्यक है। इन समस्त जानकारियों से अवगत होने पर ही हम संस्था या संगठन के निहित उद्देश्यों के अनुरूप अपने कार्यों का सुचारू ढ़ंग से निर्वहन कर पाने में सक्षम होते हैं। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सीमैट द्वारा पूर्व में विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित शासनादेशों के संकलन(भाग 1 से 6) ''प्रहरी'' के नाम से प्रकाशित किए जा चुके हैं। उक्त प्रकाशन कार्य पर सीमैट को समय–समय पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं से यह कहने में हर्ष के साथ गर्व की अनुभूति हो रही है कि इनसे विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारी व अभिकर्मी लाभान्वित हो रहे हैं। विभिन्न शासनादेशों के एक साथ सर्वसुलभ होने से, संचालित किए जाने वाले विभिन्न कार्य भी सुगमता से सम्पन्न हो रहे हैं।

इसी कड़ी को और आगे बढाते हुए नए शासनादेशों का संकलन ''प्रहरी'' भाग–7 के रूप में प्रकाशित कर आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इस भाग में उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का संकलन प्रकाशित किया जा रहा है।

यद्यपि उक्त शासनादेशों को बहुत सावधानी व सतर्कता के साथ संकलित किया गया है तथापि त्रुटि संभाव्य है। अतः आवश्यक है कि मूल शासनादेशों का संदर्भ ले लिया जाय। भविष्य में इन्हें और परिष्कृत स्वरूप में प्रकाशित करने हेतु सीमैट को आपके अमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं सहित।

ए0के0 नौडियाल
अपर निदेशक
राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान
उत्तराखण्ड, देहरादून.

अनुक्रमणिका

1. राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 02 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में। 01
2. राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य मानदेय के आगणन के सम्बन्ध में। 02
3. सरकारी सेवक वेतन नियम– 2016 03–23
4. कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किए जाने विषयक। 24
5. सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। 25–26
6. दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो दिनांक 01.01.2016 से पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं, का वेतन निर्धारण। 27–28
7. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली–2017 29–42
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स0अ0 एल0टी0 एवं प्रवक्ता संवर्ग में प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना के सम्बन्ध में। 43
9. राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण। 44
10. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में। 45
11. आई.सी.एस.सी. बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से कक्षा 1 से 12 तक एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें लागू किए जाने के सम्बन्ध में। 46–47
12. सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण। 48
13. छात्र संख्या 10 या 10 से कम वाले राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निकटस्थ विद्यालय में विलीनीकरण के सम्बन्ध में। 49
14. उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली– 2017 50
15. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में। 51–52
16. महिला सरकारी सेवकों को 'बाल दत्तक ग्रहण' अवकाश (Child Adoption Leave) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में। 53–54
17. राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी., वेतन निर्धारण एवं वाहन भत्ते की अनुमन्यता के

सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। 55–57
18. प्रदेश के जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में मध्याह्न भोजन योजना प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में। 58–61
19. विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पदों का नवीन मात्राकरण किए जाने के सम्बन्ध में। 62–64
20. माध्यमिक स्तर पर संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एन.टी.एस.ई.) छात्रवृत्ति में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में। 65
21. कार्यालय ज्ञाप–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् में विलय।
22. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.(उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। 66–71
23. Trans/Third Gender बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने के सम्बन्ध में। 72
24. उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 6) की धारा 51 के प्राविधान दिनांक 01.10.2018 से लागू होने के फलस्वरूप आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विषयक। 73–75
25. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र। 76
26. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में।
27. कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावलियों एवं पेंशन प्राधिकार पत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों के डिजिटाइजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में। 77–79
28. राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों को मैनुअल चालान के स्थान पर ई.–चालान के माध्यम से जमा किये जाने की प्रक्रिया विषयक। 80–82
29. प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष को सम्बन्धित विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में। 83
30. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से कार्मिक प्रायोजित करने की प्रक्रिया में आरक्षण प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में। 84
31. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रोतसाहन भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में। 85–86
32. पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में। 87–88
33. कार्यालय ज्ञाप–विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में दाखिला हेतु नामांकन किये जाने के संबंध में। 89–90
34. एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबन्धन

	प्रणाली (HRMS) माड्यूल में कार्मिकों के पदो ंके विवरण को अपडेट किए जाने के सम्बन्ध में।	91
35.	विभागों में आहरण–वितरण अधिकारी घोशित किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश।	92
36.	राज्य के समस्त शासकीय विभागों में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल के एच.आर.एम.एस. माड्यूल को लागू किये जाने के संबंध में।	93–94
37.	आहरण–वितरण अधिकारी के सम्बन्ध में।	95
38.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को प्रतिमाह भुगतान किये जाने के संबंध में।	96
39.	राज्य के समस्त शासकीय विभागों में IFMS पोर्टल के HRMS माड्यूल को लागू किये जाने के संबंध में।	97–98
40.	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य 'पे मैट्रिक्स' के आधार पर पुनरीक्षण।	99–100

संख्या– 198/XXVII(7)50(२५)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वि0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 05 सितम्बर, 2016

विषयः राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 02 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या महानिदे0/7580/रा0शि0सं0/2015–16 दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय शिक्षकों को एक कलैण्डर वर्ष में 01 उपार्जित अवकाश के स्थान पर 03 उपार्जित अवकाश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. वित्तीय हस्तपुस्तिका के सहायक नियम 143 के अनुसार शिक्षा विभाग के विद्यालयों को दीर्घावकाश विभाग (Vacational Department) की श्रेणी में रखा गया है। वित्तीय नियम 81–ख (1) (ग्यारह) के अनुसार किसी दीर्घावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक को उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश की अवधि की ड्यूटी के प्रत्येक वर्ष के लिए जिसमें वह पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करता है, तीस दिन तक कम कर दी जायेगी। इस प्रकार उनके द्वारा एक कलैण्डर वर्ष में अर्जित 31 दिन के अवकाश में से 30 दिन का अवकाश घटाते हुए उन्हें 01 दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य किया जाता है। वर्तमान में राजकीय शिक्षकों को एक शैक्षिक सत्र में 48 दिन का दीर्घावकाश अनुमन्य है तथा वित्तीय नियमों के आलोक में उन्हें एक कलैण्डर वर्ष में 01 दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य किया जाता है।

3. शिक्षक संघों की मांगों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजकीय शिक्षकों को, जिन्हें वर्तमान में दीर्घावकाश अनुमन्य है, उन्हें अनुमन्य दीर्घावकाश की अवधि 48 दिन के स्थान पर 46 दिन निर्धारित करते हुए प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश अनुमन्य किये जांय। अनुपभुक्त (Unutilized) विशेष अवकाश वर्ष की समाप्ति पर संचित होगा। उक्त अनुपभुक्त (Unutilized) विशिष्ट अवकाश नगदीकरण हेतु अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 198/XXVII(7)50(२५)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या \ /XXVII(7)27(3)/2013

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक: ०२ ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

विषय : राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य मानदेय के आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2015 जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में दिये जाने वाले मानदेय में एक माह के मूल वेतन के साथ 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. राजकीय वाहन चालकों को उक्तानुसार अनुमन्य मानदेय में मंहगाई भत्ते की दरों के आगणन के सम्बन्ध में कतिपय स्तरों से की जा रही पृच्छाओं के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य एक माह के मूल वेतन के साथ तत्समय प्रभावी दरों के अनुसार महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7

संख्या: 299 / XXVII(7)50(16) / 2016

देहरादून: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना संख्या–290 / xxvii(7)50(16) / 2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित "**उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016**" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 500 प्रतियॉ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या–२७० /XXVII(7)50(16)/2016
देहरादून : दिनांक २८ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. **(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 है।

(2) यह नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

सरकारी सेवकों की श्रेणियों जिन पर ये नियम लागू होंगे:– 2. **(1)** इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित किया जाता है।

(2) ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:–

(i) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी;

(ii) न्यायिक सेवा के अधिकारी;

(iii) शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक, जो यू0सी0जी0/ए0आई0सी0टी0 एवं आई0सी0ए0आर0 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त हैं;

(iv) जूनियर डॉक्टर/कार्य प्रभारित कर्मचारी;

(v) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;

(vi) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;

(vii) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान

किया जाता है; जिसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती (Piece Rate) आधार पर भुगतान किया जाता है।

(viii) संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;

(ix) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुनः नियोजित व्यक्तियों;

(x) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें।

परिभाषाएं **3. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो**

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ii) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से अभिप्रेत है;

(iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ और शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।

(iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण– ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन" विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह

अभिप्राय होगा कि– उस पद जो राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से है।

(v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के स्तर (Level) तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा–निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "स्तर (Level)" से, इन नियमों की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।

(viii) "स्तर (Level) में वेतन" से अनुसूची–1 में यथा–विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ix) किसी पद के सम्बन्ध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट स्तर (Level) अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।

(x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के स्तर में वेतन अभिप्रेत है; और

(xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 अभिप्रेत है।

पदों का स्तर **4.** संशोधित वेतन संरचना में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण उन विभिन्न स्तरों (Levels) के अनुसार किए जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा–विनिर्दिष्ट तदनुरुपी विद्यमान वेतन बैंड

और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण 5. इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, वेतन बैण्ड़/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के कारण उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतन बैण्ड़/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण अथवा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड़ एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

<u>**स्पष्टीकरण–1**</u> इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण–2 उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

<u>**स्पष्टीकरण–3**</u> जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलंबित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का प्रयोग 6. (1) नियम–5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–2 में लिखित रूप में इस प्रकार से किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि–

(i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर राज्य से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में जाने से ठीक पूर्व जिस विभाग एवं पद पर कार्यरत था, उस विभाग एवं पद पर उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।

(2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–2 में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप–नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया हैं।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम विकल्प होगा।

<u>टिप्पणी–1</u> ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थी और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर

सके थे, उप–नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पणी–2 ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय–सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया हैं यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी–3 ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें अवकाश वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण

7. **(1)** किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा यदि धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि से अलग–अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:–

(क) **<u>सभी कर्मचारियों के मामले में</u>**

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में सम्बन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरुपी (Corresponding) कोई समरुप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य स्तर के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य स्तर में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम

राशि), उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन, उस प्रयोज्य स्तर में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। (उदाहरण–एक)

<u>ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होने दिनांक 01–01–2016 को नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत किया है:–</u>

<u>उदाहरण</u>

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंड: पीबी–1
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 10160
4. विद्यमान मूल वेतन: 12560 (10160+2400)
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 4
7. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): **32300**

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	**32300**	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

(ख) **<u>चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है</u>**, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप–खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–3
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतनः 15600
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000
5. मूल वेतन पर 25 % प्रैक्टिसबंदी भत्ताः 5250
6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से मंहगाई भत्ता : 6563
7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतनः 21000X2.57 = 53970
8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ता : 6563 (5250 का 125%)

वेतन बैंड	15600–39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	**61300**	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

9. क्रम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533 10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी–3) का तदनुरूपी लेवलः लेवल 10 11. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): **61300** 12. संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250 13. संशोधित वेतन + संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550	

(2) यदि किसी पद का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य उच्चीकृत किया गया है, तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तद्नुरुपी ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन बैण्ड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण निम्न विधि से किया जायेगाः–

<u>ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने विद्यमान वेतनमान के उच्चीकरण के दिनांक से नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत किया है–</u>

<u>उदाहरणः</u>

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–1
2. विद्यमान वेतन : 2400
3. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)
4. उन्नत ग्रेड वेतन : 2800
5. वेतनमान उच्चीकृत होने के दिनांक को वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतनः 12960

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200

(10160+2800)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6. कम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20 (33307 में पूर्णांकित)	3	19100	21100	23100	27100	31000
7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : **33900**	6	20900	23100	25200	29600	**33900**
	7	21500	23800	26000	30500	34900

(3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह अवकाश वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(5) निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(6) दिनांक 01–01–2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।

(7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में

उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।

(9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अन्तर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(10) (1) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा–निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग के समरूप (Identical) पद हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;

(ग) पदोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो;

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि

के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप–नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(2) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा–निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद, जिस पद पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया हैं, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते, कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के मध्य नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि

9. वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Level) की लम्बवत् कोष्ठिका (Vertical Cells) में यथा–विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

<u>**उदाहरण:**</u>

लेवल 4 में **32300** रूपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लम्बवत् नीचे की ओर (Move Vertically Down the same Level in the cells) की कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन **33300** हो जाएगा।

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	**32300** ⇩	37000
10	23500	26000	28400	**33300**	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख

10. (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भाँति प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी।

(2) जिन सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2016 है उनका संशोधित वेतन संरचना में नियम–7 के उप खण्ड–1(क) के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेबल की लम्वत अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन निर्धारित होगा।

(3) ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

<u>उदाहरण:</u>

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जनवरी, 2016 और 30 जून, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई, 2016 और 31 दिसम्बर, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(4) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ

के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का संशोधन

11. यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में तैनात सरकारी सेवक का वेतन संरक्षण

12. वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार ये अधिकारी रहे होते यदि वे वाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल काडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण

13. संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (Level) से दूसरे स्तर (Level) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) एक वेतनवृद्धि उस स्तर (Level) में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (Level) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

(ii) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामलों में भी उक्त प्रकियानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4 2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28700 3. पदोन्नति/एएसीपी/समयमान वेतनामन/चयन वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में 4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600 5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	वेतन बैंड	5200–20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

(iii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में मूल वेतन+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, शीर्ष स्तर के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

(iv) उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात यदि शासन द्वारा किसी पद का वेतनमान/स्तर अगले उच्च स्तर (Higher Level) में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में उस पद पर कार्यरत पदधारक का मूल वेतन उच्चीकृत स्तर (Level) की समतुल्य कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका, उस उच्चीकृत स्तर/वेतनमान में उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस उच्च स्तर (Higher Level) में उपलब्ध उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (At the immediate next higher cell) में रखा जायेगा।

वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि

14. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की बकाया राशि (ऐरियर) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है :

(i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने

वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़।

(ii) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव

15. मूल नियमों एवं शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्सम्बन्धी अन्य आदेश (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्ध, इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत है, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

शिथिलीकरण की शक्ति

16. राज्यपाल का यह समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबन्ध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अध्यधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

निर्वचन

17. यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई उत्पन्न होती है, तो विनिश्चय के लिए वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

अनुसूची–1

[नियम 3(vi)]

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	5200–20200					9300–34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	69700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	41400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600–39100			37400–67000			67000–79000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000	–	–
10	11	12	13	13क	15	16	17
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	225000
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100	
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300	
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600	
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100	
71100	85800	99800	150200	166100	182700		
73200	88400	102800	154700	171100	188200		
75400	91100	105900	159300	176200	193800		
77700	93800	109100	164100	181500	199600		
80000	96600	112400	169000	186900	205600		
82400	99500	115800	174100	192500	211800		
84900	102500	119300	179300	198300	218200		
87400	105600	122900	184700	204200			
90000	108800	126600	190200	210300			
92700	112100	130400	195900	216600			
95500	115500	134300	201800				
98400	119000	138300	207900				
101400	122600	142400	214100				
104400	126300	146700					
107500	130100	151100					
110700	134000	155600					
114000	138000	160300					
117400	142100	165100					
120900	146400	170100					
124500	150800	175200					
128200	155300	180500					
132000	160000	185900					
136000	164800	191500					
140100	169700	197200					
144300	174800	203100					
148600	180000	209200					
153100	185400						
157700	191000						
162400	196700						
167300	202600						
172300	208700						
177500							

अनुसूची–2

विकल्प का फ़ॉर्म

{नियम 6(2) देखें}

1. मैं, ________________________ 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।

2. मैं, ________________________ अपने निम्न–उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर ____________________ रूपए हो जाए/मेरे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/____________________ के पद पर मेरी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ;

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन ______________

हस्ताक्षर ______________

नाम ______________

पदनाम ______________

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं ______________

कार्मिक संख्या ______________

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर______________

नाम______________

पदनाम______________

कार्मिक संख्या ______________

दिनांक:

स्थान:

संख्याः 292/XXVII(7)30(9)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांकः 30 दिसम्बर, 2016

विषयः **कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक।**

महोदय,

कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक राज्य में गठित वेतन समिति की संस्तुतियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–289 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार किया गया है।

2– समिति की संस्तुति के कम में कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों का वेतनमान निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

वर्तमान में अनुमन्य दर		सातवें पुनरीक्षित वेतनमान **में संशोधित दर (रु0 में)**
–1 एस	4440–7440	18000
–1 एस	4440–7440	18000
–1 एस	4440–7440	18000
–1 एस	5200–20200	18000
वेतन बैण्ड–1	5200–20200	19900
वेतन बैण्ड–1	5200–20200	21700
वेतन बैण्ड–1	5200–20200	25500
वेतन बैण्ड–1	5200–20200	29200
वेतन बैण्ड–1	9300–34800	35400

3– कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /xxvii(7)30(8)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून दिनांक: २१ दिसम्बर, 2016**

विषय: सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में सार्वजनिक उपकमों/निगमों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के संकल्प संख्या–289/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक 27.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– वित्त विभाग के ऊपरिउल्लिखित संकल्प दिनांक 27.12.2016 द्वारा सार्वजनिक उपकमों/निगमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) अनुमन्य किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी हैं।

3– उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक उपकमों/निगमों के ऐसे नियमित कार्मिक, जिन्हें सरकारी सेवकों की भांति छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य हैं, को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में सम्बन्धित निगम/उपकम के बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– वेतन समिति की संस्तुति के कम में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जो उपकम/निगम वी.आई.एफ.आर. में संदर्भित है और उनके द्वारा इस हेतु पंजीकृत किये गये हैं अथवा समापन की प्रकिया में हैं अथवा विचाराधीन है, उनके कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

5– उक्तवत पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के समस्त एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से ही किया जाएगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

कृपया उपरोक्त के कम में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जहाँ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो तो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 में दी गयी प्रकियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या २९ । /xxvii(7)30( )/2016 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव/प्रभारी सचिव को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों के अधीन गठित निगमों/उपकमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में नये वेतन मैट्रिक्स में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से यथाप्रकिया अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या— /xxvii(7)30(15)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 03 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2017

विषयः दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं, का वेतन निर्धारण।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं एवं पूर्व में उनके अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन घटाकर प्राप्त होने वाले वेतन एवं शुद्ध पेंशन के योग पर महंगाई राहत तथा शुद्ध पेंशन का भुगतान उन्हें किया जा रहा है।

2— राज्य एवं केन्द्र में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के उपरान्त दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा इसके उपरान्त पुनर्योजित कार्मिकों के सम्बन्ध में भारत सरकार में जो रीति पूर्व में अपनायी गयी थी, उसी सिद्धान्त के आधार पर राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य के अन्य संवर्ग के ऐसे पुनर्योजित अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि के पूर्व अथवा उसके उपरान्त पुनर्योजित थे/हैं, के वेतन एवं पेंशन का पुनरीक्षण अन्तरिम आधार पर किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

3— इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि–

(क)– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01.01.2016 को उन्हें पूर्व में प्राप्त अन्तिम वेतन का पुनरीक्षण नयी वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2016 से यह प्रकल्पित करते हुए किया जायेगा कि मानो वे उक्त तिथि को सेवा में थे।

(ख)– दिनांक 01.01.2016 से उनकी पेंशन का पुनरीक्षण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा तद्विषयक में निर्गत नियम/शासनादेश के अनुसार किया जायेगा।

(ग)– उप प्रस्तर–(क) के अनुसार पुनरीक्षित वेतन में से उप प्रस्तर -(ख) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन घटाकर पुनर्योजन/पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त अधिकारी के पुनरीक्षित वेतन संरचना में

निर्धारित अन्तिम मूल वेतन अथवा पुनर्योजन पद के वेतनमान के अधिकतम वेतन दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(घ)– अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्ति कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में कोई अन्यथा आदेश निर्गत किये जाते हैं, तो राज्य सरकार में संबंधित अधिकारियों का वेतन तद्नुसार पुनर्निर्धारित किया जायेगा और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी को अनुमन्य वेतन से अधिक भुगतान हो गया है तो अधिक भुगतानित राशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन/पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य अन्तरिम राहत से समायोजित कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(ङ)– सेवानिवृत्त के उपरान्त जो कार्मिक दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त पुर्ननियुक्ति हुए हैं, की पेंशन को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित करने पर यदि अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अधिक भुगतान की धनराशि को पेंशन के अवशेष ऐरियर से समायोजित किया जायेगा। पेंशन के ऐरियर से समायोजन के उपरान्त भी अधिक भुगतान की धनराशि समायोजन के लिए अवशेष रह जाती है, तो उसे एक वर्ष में समान किस्त निर्धारित करके मासिक पेंशन की धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 12 /XXVII(7)30(15)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– 73/XXVII(7)7/2017
देहरादून : दिनांक २६ मई, 2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) इस नियमावली में जहां–जहां शब्द "उत्तरांचल" उल्लिखित है उसके स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाय।

मूल नियमावली, 2006 के नियम–2 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–2(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रस्तावित नियम
(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;	**(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– लेखा अधिकारी का तात्पर्य, समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे का अनुरक्षण करने वाला अधिकारी;**

नियम–2 (ग) (तीन) का संशोधन।	**3. मूल नियमावली के नियम–2 के खण्ड (ग) के प्रस्तर–(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्**
(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित भाई और बहन।	**(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित माता–पिता, अविवाहित भाई और बहन।**
नियम–13(2)(तीन) का संशोधन।	**4. मूल नियमावली के नियम–13(2)(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्**
(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के सम्बन्ध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के सम्बन्ध में उपगत करना हो।	**(तीन) अभिदाता के परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि, जनेऊ संस्कार या अन्य धार्मिक एवं गृह कर्म के व्यय हेतु।**
नियम–13(4)(एक) का संशोधन।	**5. मूल नियमावली के नियम–13(4)(एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्**
अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा या	**अभिदाता के छः मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।**
नियम–16 (1) (अ) का संशोधन।	**6. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (अ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्**
अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:	**अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात:**

नियम–16 (1) (अ) (क) का संशोधन।	7. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (अ) (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

निम्नलिखित मामलों में: (एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा और (दो) हाईस्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।	(एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक, व्यवसायिक, चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या उस पर आश्रित परिवार के सदस्य की उच्चतर शिक्षा हेतु।

नियम–16(1)(ब) का संशोधन।	8. मूल नियमावली के नियम–16(1)(ब) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साईकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत वेतन के सम्बन्ध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्;	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, दुपाहिया अथवा चौपाहिया वाहन के क्रय/व्यापक मरम्मत, कम्प्यूटर लैपटॉप अथवा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण अथवा पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये।

9. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (ब) (एक) व (दो) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम–16(1)(स) का संशोधन	10. मूल नियमावली के नियम–16(1)(स) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करनेके पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्; (क) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है; (ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये; (ड.) पैतृक गृह का पुनरूद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,	**अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्;** **(क) भूमि/भवन/फ्लैट के क्रय/अर्जन अथवा पैतृक गृह अथवा स्वयं के मकान बनाने/मरम्मत/पुनरूद्धार के लिये अथवा उक्त हेतु लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये।**
(च) उप खण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिये,	

नियम–17(1) का संशोधन।

11. मूल नियमावली के नियम–17(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उदेश्य जिसके	**नियम 16 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि खाते में जमा धनराशि के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।**

लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है: परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उप खण्ड (घ) और (ड) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।	

12. मूल नियमावली के नियम 17 की टिप्पणी–1, टिप्पणी–2(क), टिप्पणी–2(ख), टिप्पणी–2(ग) व टिप्पणी–4 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

13. मूल नियमावली के नियम 19 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम–23 का संशोधन।

14. मूल नियमावली के नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य मामलों विभागाध्यक्ष निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा। (1) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो– (क) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये या अधिक हो के मामले में 30,000 रूपये, (दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो	**सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष, जो भी स्थिति हो, अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अथवा रू0 30,000 जो भी कम हो, अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा।**

जिसके वेतनमान का अधिकतम 9,000 रूपये या अधिक किन्तु 13, 500 रूपये से कम हो, के मामले में 27,000 रूपया, (तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 4,000 रूपये या इससे अधिक किन्तु 9,000 रूपये से कम हो, के मामले में 12,000 रूपया, (चार) (क) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रूपये से कम हो, के मामले में 10,000 रूपया; (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रूपये से अधिक नहीं होगी; (ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	

नियम–24 के उप नियम (4) व (5) का संशोधन।

15. मूल नियमावली के नियम–24 के उप नियम (4) व (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425(ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।	**(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।**
(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425(क) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे	**(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ**

का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	**विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।**
(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्ररूप 425 (क) या 425 (ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	**(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्रारूप 425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी महालेखाकार द्वारा जारी अध्यावधिक जी0पी0एफ0 वार्षिक लेखा पर्ची से लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।**

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

प्रमुख सचिव।

(नियम 24)

प्रारूप–425

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

____

____

____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं। .... मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुकी हूं और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक .... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूं।

2– मैं अनुरोध करता/करती हूं के मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या........................ है तथा मेरा यूनिक इम्पलॉयमेंट कोड सख्या....................................है।

3– मैं वचन देता/देती हूं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग–दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूंगा/दूंगी।

स्थान........................ भवदीय

दिनांक......................

(हस्ताक्षर)

नाम और पता

भाग– दो

सामान्य भविष्य निधि, लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी एक/दो,
उत्तरांचल, देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं..................मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूं और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक .... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूं।

2– मैं अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या.................... में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं एतदद्वारा अनुरोध करता/करती हूं कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से करा दिया जाय।

स्थान..............................

दिनांक ....

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता

भाग–तीन

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप।

(नामांकितियों द्वारा या यदि कोई नामांकन ना हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु)

सेवा में,

....
....
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये है:–

1– सरकारी सेवक का नाम...

2– सरकारी सेवक द्वारा धृत पद...

3– मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए)........................

4– मृत अभिदाता का भविष्य निधि लेखा संख्या... तथा यूनिक इम्पलायेमेंट कोड संख्या.................................है।

5– अभिदाता के नियम–2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा:–

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लेखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5

6– अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन हो:–

क्रम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामांकिती का अंश	दावा का कारण यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

7– किसी अवयस्क की देय धनराशि के मामले में दावे का समर्थन यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

8– यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और, कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट–पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा)

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	पता
1			
2			
3			
4			

9— भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/.................................. कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:—

एक— वैयक्तिक पहचान के चिन्ह—

दो— बांये/दांये हाथ का अंगुठे और अंगुलियों के निशासन (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)

तीन— नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

10— मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है। तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

भाग—चार

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
(नामाकितियों द्वारा यदि कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एक/दो
उत्तरांचल देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने/हम लोगों ने श्री/श्रीमती.......................... के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या........................ में अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी........................ कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

1– श्री/श्रीमती.................................. का भविष्य निधि लेखा संख्या.................................. हैं।

2– वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवानिवृत्त होगा/होगी .... मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/ उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनांक .... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।

3– ....रुपये की अन्तिम कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए रुपये की वसूली उसके वेतन से ....कोषागार के ....वाउचर संख्या..........................दिनांक ....से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न ....रुपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।

4– प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अंतिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अंतिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

(क)– **अंतिम प्रत्याहरण**–

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

(ख)– **अस्थायी अग्रिम**:–

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1						
2						
3						
4						

5– दिनांक .... (वह दिनांक जब धनराशि देय हो चुकी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और (बोनस यदि कोई हो) भी है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार ....रुपये (अंकों में) .... रुपया (शब्दों में).............................. है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत ....रुपया होता है।

6– प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। अतएव ... . रूपये (अंको में) ....रूपये शब्दों में जो अभिदाता की समान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत है का भुगतान .... अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों के नाम को करने की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जाती है।

कम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रू0)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मद्दे.........................रूपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के समान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से ....(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गई हे तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को...................................रूपये (अंको में).. .....रूपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8– अभिदाता की मृत्यु दिनांक ....को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

9– परिकलन शीट (तीन प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित .... को अग्रसारित।

दिनांक ....

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जांच कर ली है, जो सही है

2– ....रूपये (अंकों में) .... रूपये (शब्दों में) के

3– ....(स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित।

दिनांक ....

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– ....(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को ....रूपये (अंकों में) ....रूपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2– शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को अग्रसारित की गयी। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापव की जाय।

दिनांक ....

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो कम संख्या 8 के विरूद्ध सूचना प्रस्तुत की

संख्या–477 /XXIV–नवसृजित/2017–32(01)/2013 टी0सी0 III

प्रेषक,

चन्द्र शेखर भट्ट,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित   देहरादून: दिनांक 30 जून, 2017

विषयः– राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स0अ0 एल0टी0 एवं प्रवक्ता संवर्ग में प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–सेवा–2/अराज./4098/2017–18 दिनांक 15.05.2017 के क्रम में उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013, यथा संशोधित, 2014 के नियम–9 के अन्तर्गत स0अ0 एल0टी0 एवं प्रवक्ता सवर्ग में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय काउन्सिलिंग के माध्यम से निम्नवत् पदस्थापना की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2014 के अनुरूप काउन्सिलिंग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रिक्ति की प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी। प्रथमतः उन विद्यालयों में पदस्थापना की जायेगी, जहां संबंधित विषय में छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हो।
2. काउन्सिलिंग हेतु Y–क्षेत्र के विद्यालयों की संख्या रिक्ति की प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विषय में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के तीन प्रतिशत तक रखी जायेगी, जिसमें उपलब्धता के आधार पर महिला अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर D–श्रेणी के विद्यालय रखे जायेगें।
3. विकलांग अभ्यर्थियों को X–क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पदों के अतिरिक्त उक्त Y–क्षेत्र के चयनित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय को चयन करने का अवसर दिया जायेगा।
4. विकलांग अभ्यर्थियो को अवसर दिये जाने के उपरान्त मैरिट के आधार पर महिला अभ्यर्थियो को उक्तवत् प्रदर्शित विद्यालयों का विकल्प लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा, जिस के उपरान्त मैरिट के आधार पर पुरूष अभ्यर्थियों को विद्यालय के विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा।
5. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष विकल्प नहीं दिया जाता है, तो काउन्सिलिंग के उपरान्त प्रदर्शित अवशेष रिक्तियों में से मैरिट के आधार पर उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिया जायेगा।

2– कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(चन्द्र शेखर भट्ट)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 84 /XXVII(7)50(06)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: 07 जून मई, 2017

विषयः–राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19.03.1997 एवं 29 मई, 1999 द्वारा वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे। उक्त शासनादेशों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है को 200 किलोमीटर प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रति माह प्रति वाहन के आधार पर कार के लिए रू0 500/– तथा जीप के लिए रू0 400/– जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा किये जाने वाले प्रति वाहन, प्रति माह की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू0 2000/– प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाय।

2. उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3. उक्त धनराशि राजकोष में यथानिर्धारित लेखाशीर्षक के अधीन पूर्व की भांति जमा की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–/39 / XXVII(7)39(07)/2016

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक ०२ ~~जुलाई~~ अगस्त, 2017

विषय: उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–1662/16/(D4)/खण्ड–2/कोषा0/दे0दून/ नि0को0पें0ह0/2017 दिनांक 27 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 का प्रस्तर–13 शिक्षकों पर लागू होगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के प्रस्तर–13 पर दी गई व्यवस्था स्वतः स्पष्ट है। यह व्यवस्था शैक्षणिक पदों के कार्मिकों पर भी लागू होगी। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या 403 /XXIV(1) नवसृजित/2017/34/2010TC

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा /माध्यमिक शिक्षा
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग | देहरादून दिनांक 23 अगस्त, 2017

विषयः—आई0सी0एस0सी0बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018—19 से कक्षा 1 से 12 तक एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकें लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 8374/विविध/2017—18 दिनांक 18 जुलाई, 2017 के संदर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं /प्रतिस्पर्द्धा हेतु सक्षम बनाने तथा छात्रों के अभिभावकों पर आने वाले अनियंत्रित व्ययभार से राहत दिलाने हेतु आगामी शैक्षणिक सत्र 2018—19 में आई0सी0एस0सी0 बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर प्रदेश में स्थित राजकीय /सहायता प्राप्त अशासकीय /मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों व अग्रेंजी माध्यम से संचालित समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकें लागू की जायेंगी।

2— कक्षा 1 से 12 तक की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को अग्रेंजी माध्यम से पढ़ाया जायेगा तथा इस हेतु आगामी सत्र 2018—19 में सर्वप्रथम कक्षा 3 एवं कक्षा 6 में एन0सी0ई0आर0टी0 की अंग्रेजी माध्यम की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को लागू किया जाये एवं आगामी वर्षो में इसे क्रमोत्तर रूप में संचालित किया जाय।

3— राज्य में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों में एन0सी0एफ0 2005 के मानकों के अनुसार संचालित पाठ्यक्रम को एन0सी0ई0आर0टी0 से अनुमति प्राप्त कर उक्त पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय परिवेश में सम्बन्धित पाठ्य सामग्री सम्मिलित की जाये।

4— राज्य के समस्त राजकीय /सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र—छात्राओं हेतु एन0सी0ई0आर0टी0से कॉपीराइट प्राप्त कर एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 की पाठ्य पुस्तकें लागू करते हुए वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन व परिवर्द्धन किया जायेगा एवं राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं हेतु पाठ्य पुस्तकों का व्ययभार सर्व शिक्षा अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ववत वहन किया जाता रहेगा । निजी तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्र—छात्राओं के लिए पाठ्य पुस्तकें क्रय हेतु बाजार में उपलब्ध कराई जायेंगी।

5— कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत एस0सी0/एस0टी0 छात्रों के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 से कापी राईट प्राप्त कर पुस्तकें मुद्रित कर छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी

तथा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अन्य छात्रों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के समस्त छात्रों हेतु पुस्तकें मुद्रित कर क्रय हेतु बाजार में उपलब्ध करायी जायेंगी।

6— कक्षा 1 से 12 तक के अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को विद्यालयों की मांग के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें भी मुद्रित कराई जायेंगी।

7— एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकों के अध्यापन हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

8— मितव्ययता के दृष्टिगत विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाय तथा एक वर्ष की पुस्तकों से आगामी शिक्षा सत्र के छात्रों को भी लाभान्वित किया जाय।

9— उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधित) नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10— कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

11— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 65(म0)/वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग–3 दिनांक 22–8–2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव

संख्या 403 (1)/XXIV(1) नवसृजित/2016/34/2010Vol-1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी/ कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
6— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तराखण्ड।
7— निजी सचिव , मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड देहरादून।
8— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल –नैनीताल ।
9— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल–पौडी।
10— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
12— राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
13— माध्यमिक शिक्षा अनुभाग –3 /वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग–3
14— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव

संख्या– ~~ /XXVII(7)50(06)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः 09 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2017**

विषयः सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 1997, 29 मई, 1999 एवं 07 जून, 2017 द्वारा प्रत्येक अधिकारी जिन्हें शासकीय वाहन आवंटित है, को कार्यरत अवधि में वाहन के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में प्रत्येक अधिकारी जिन्हें राजकीय वाहन आवंटित है, को प्रतिमाह 200 किलोमीटर तक राजकीय वाहन का निजी प्रयोग अनुमन्य किया गया है। यदि निजी उपयोग किसी माह में 200 किलोमीटर से अधिक होता है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रू0 3/– प्रति किलोमीटर की दर से धनराशि देय होगी।

2. उक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी माह में शासकीय वाहन का निजी उपयोग 200 किलोमीटर से अधिक किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी से रू0 03/– प्रति किलोमीटर के स्थान पर रू0 10/– प्रति किलोमीटर की दर से धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा की जाय।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

क्रमशः......2

संख्या- 964 /XXIV(1)/2017–25/2017

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांक 15 सितम्बर, 2017

विषयः छात्र संख्या 10 या 10 से कम वाले राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निकटस्थ विद्यालय में विलीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्याः प्रा0शि0–दो(2)/201802–03/326/2017–18, दिनांक 08 अगस्त, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0टी0ई0 मानकानुसार एक किमी की दूरी के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होने की स्थिति में, प्रथम चरण में ऐसे प्राथमिक विद्यालयों के विलीनीकरण करने हेतु केन्द्रीकृत/समेकित विद्यालय को चिन्हित करने तथा इसी प्रकार आर0टी0ई0 मानकानुसार तीन किमी की दूरी के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होने की स्थिति में ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलीनीकरण करने हेतु केन्द्रीकृत/समेकित विद्यालय को चिन्हित करते हुए, विलीनीकरण की कार्यवाही किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2– अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत विद्यालय स्थापना से सम्बन्धित उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, उक्तानुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलीनीकरण के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही निदेशालय स्तर से करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव (प्रभारी)।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 484 /XXIV(1)/45/2008 T.C.IV
देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:–

उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2017 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 34 के उपनियम (ग) और (च) का प्रति स्थापन	2.	उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थपित नियम
(ग) प्रत्येक कक्षा एवं प्रत्येक विषय हेतु अपेक्षित अधिगम सम्प्राप्ति को परिभाषित करना तथा इन परिणामों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों तथा अधिगम सामग्री निर्धारित करना।	केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गये तथा राज्य सरकार द्वारा हिन्दी भाषा में अनुवादित सभी प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए कक्षावार, विषयवार अधिगम परिणामों को सम्बन्धित सभी विद्यालयों में लागू करना।
(च) कक्षा–1 से कक्षा–8 तक की सभी कक्षाओं में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू करने हेतु उपर्युक्त निर्देशिका तैयार करना।	परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव (प्रभारी)

—2

संख्या: 41 /XXVII(7)50(4)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय :पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को जनहित में एवं अपरिहार्यता होने पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने पर उनके वेतन/भत्तों आदि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेष संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 में व्यवस्थायें उपबन्धित की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2012 को अतिक्रमित करते हुए पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों के वेतन/भत्तों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों के पुनर्नियोजन की अवधि में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 520 में निहित प्राविधान के अनुसार वेतन निर्धारण एवं वेतन की अनुमन्यता उन्हीं मामलों में रहेगी जिसनें पुर्ननियोजन के पद का दायित्व नितान्त वैज्ञानिक, उच्च तकनीकी अथवा विशेषज्ञता से युक्त हो। पुनर्नियोजन की अवधि में, सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दिनांक को अंतिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर जो धनराशि प्राप्त होगी, वह पुनर्नियुक्ति अवधि में उसका वेतन होगा। मंहगाई भत्ता उक्त वेतन एवं पेंशन पर समान रूप से पृथक–पृथक अनुमन्य होगा। यदि किसी अतिविशिष्टि विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति के प्रकरण मे अधिक धनराशि दी जानी आवश्यक है तो वित्त विभाग के परामर्शोपरान्त मा0 मंत्रिमण्डल की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
2. विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण, योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता हो, को छोड़कर सामान्य प्रशासनिक कार्यों, अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यो तथा विभाग की प्रकृति से सम्बन्धित रूटीन कार्यों के सम्पादन के लिए पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। नितान्त अपरिहार्यता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष की मांग/संस्तुति पर सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व सेवा का इतिहास/स्वास्थ्य/अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का भलि–भांति प्रशिक्षण करके औचित्य के साथ कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से संविदा के आधार पर सलाहकार/परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी, विशेषज्ञ समन्वयक आदि नामों से निःसंवर्गीय पद सृजित करते हुए नियत मानदेय पर तैनाती की जायेगी। उक्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्ध वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय अनुमन्य किया जायेगा। नियत मानदेय पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
3. पुनर्नियुक्ति/नियत मानदेय पर तैनात कार्मिक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से सम्बन्धित अन्य भत्तें, जो सेवारत रहते उन्हें अनुमन्य रहे हों, देय नहीं होंगे अर्थात पुनर्नियुक्ति की अवधि में मात्र वेतन एवं वेतन में देय महंगाई भत्ता अथवा नियत मानदेय जैसी भी स्थिति हो, ही देय होगा।
4. पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित कार्मिक को सरकारी आवास व सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
5. पुनर्नियोजन की अवधि पेंषन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन/नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. पुनर्नियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस वेतनमान के सापेक्ष अनुमन्य होंगे जिसके विरूद्ध उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया हो।
8. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस तक होगी। पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
9. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन संबधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 173/XXX(2)2013–3(1)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रस्तर–3 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ही किसी विभाग में पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के प्रस्तावों पर वित्त विभाग में विचार किया जायेगा।
10. समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन नहीं किया जायेगा।

2– पूर्व में नियोजित कार्मिक, जिन्हें शासनादेश संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं प्राप्त हो रही है, उन्हें उक्त सुविधायें उनके वर्तमान कार्यकाल तक अथवा 28 फरवरी, 2018 तक जो भी पहले हो, तक ही अनुमन्य होगी।

3– पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि में उक्त कार्मिको को वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

4– पुनर्नियुक्ति केवल निःसंवर्गीय पदों पर की जायेगी। निःसंवर्गीय पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

5– उक्त शासनादेश संवैधानिक पदधारकों पर लागू नहीं होगा।

6– इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश व नियम उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जाएं। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : / /XXVII(7)50(4)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टैट इन्टरनल ऑडिटर, देहरादून।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– /XXVII(7)34(1)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक : 10 सितम्बर, 2017

विषय : महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (Child Adoption Leave) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13018/1/2009–स्थापना (छुट्टी) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मौलिक रूप से नियुक्त (substantive appointment) स्थायी/अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) ऐसे महिला सरकारी सेवक, जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया गया हो, को पूरे सेवाकाल में एक बार अधिकतम 180 दिन के 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(2) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा, जिन्होंने इस शासनादेश के जारी होने से पूर्व एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लिया हो, परन्तु उक्त सुविधा गोद लिये गए शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तक की ही अवधि हेतु (अधिकतम 180 दिनों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए) अनुमन्य होगी।

(3) इस अवकाश अवधि के दौरान महिला सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य 'अवकाश वेतन' देय होगा।

(4) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश, जो नियमानुसार अनुमन्य हो और जिसके लिये यथा–प्रक्रिया आवेदन किया गया हो, भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवकाशों की कुल अवधि (बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश सहित) एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) यदि किसी महिला सरकारी सेवक के शिशु गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित संतानें हों, तो उन्हें 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(6) उक्त अवकाश भारत सरकार के Adoption Regulations, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) व अन्य तत्संबंधी आदेशों के अंतर्गत केवल वैधानिक (valid adoption) रूप से गोद लिए गए शिशु के लिए ही अनुमन्य होगा।

(7) उक्त अवकाश 'मातृत्व अवकाश' की भांति स्वीकृत किया जायेगा।

(8) 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' को अवकाश लेखे के नामे नहीं डाला जायेगा।

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संगत अवकाश नियमों में तदनुसार आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः ~ /XXVII(7)40(IX)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून, दिनांकः २४ नवम्बर, 2017

विषयः राज्य कर्मचारियों को ए0सी0पी0, वेतन निर्धारण एवं वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–65/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 का कृपया संलग्नक सहित सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश द्वारा राज्य के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को संशोधित ग्रेड पे के अनुसार ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था की गई थी, अर्थात किसी पद पर मौलिक रूप से कार्यरत पदधारक तथा ए0सी0पी0 के आधार पर कार्यरत पदधारक दोनों को शासनादेश सं0–07/XXVII(7)/27(V)/2011दिनांक 06.04.2011 के साथ वेतन बैण्ड–1 में रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1800 का लाभ दिनांक 01.01.2006 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 24 मार्च, 2011 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किया गया है एवं शासनादेश सं0–216 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2008 से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में कमशः रू0 1400, रू0 1800 एवं रू0 2000 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले समूह–घ के कार्मिकों को, के स्थान पर कमशः रू0 1900, रू0 2000 एवं रू0 2400 के अनुसार काल्पनिक रूप से अनुमन्य किया गया है और इसी शासनादेश के अनुसार मौलिक रूप से प्राप्त कर रहे वेतन तथा ए0सी0पी0 के रूप में प्राप्त हो रहे लाभ को दिनांक 24 मार्च, 2011 से नकद किए जाने की व्यवस्था उपबन्धित की गई है। शासनादेश सं0–589/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 01.07.2013 के प्रस्तर–2(3) के अनुसार ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को इग्नोर किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा।

2. शासनादेश सं0–1014/01 वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च, 2001 सपठित शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 में वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हो तो समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

3. शासनादेश सं0–327/XXVII(3)/सं0वे0/2005 दिनांक 23 अगस्त, 2005 में समयमान वेतनमान व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नतीय पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवानियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी की प्रोन्नति

वरिष्ठता–कम–उपयुक्तता के आधार पर की जाती हो, परन्तु जिन पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वरिष्ठता–कम–उपयुक्तता के साथ–साथ योग्यता/उच्च अर्हता/मेरिट के आधार पर हो, वे पद समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु पदोन्नतीय पद नहीं माने जायेंगे। ऐसे मामलों में अन्य शर्तों की पूर्ति की दशा में अगला उच्चतर वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स में अगला उच्च स्तर जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर– 2 एवं 3 में स्पष्ट किया गया है, देय होगा।

4. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–589/XXVII(7)/40(IX)/2011 दिनांक 01.07.2013, सं0–770/XXVII(7)/40(IX)2011 दिनांक 06.11.2013, एवं सं0–26/XXVII(7)/40(IX)/2011TC दिनांक 25.02.2014 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए समूह–घ के कार्मिकों को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन क्रमशः रू0 2000, रू0 2800 एवं रू0 4200 अनुमन्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि समूह–घ के कार्मिकों को ए0सी0पी0 के अंतर्गत शासनादेश सं0–216 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 एवं सं0–589 दिनांक 01 जुलाई, 2013 के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 1900, रू0 2400 एवं 2800 ही अनुमन्य है।

5. कतिपय विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेश सं0–136 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए अपने कार्मिकों को पदोन्नति/समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी फिटमैन्ट तालिका (शासनादेश सं0–395 दिनांक 17.10.2008 एवं सं0–41 दिनांक 13.02.2009 की तालिकाएं) का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है। यहां यह स्पष्ट करना है कि किसी भी कार्मिक को फिटमैन्ट तालिका का लाभ पांचवे वेतन आयोग के वेतनमानों से छठवें आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों में वेतन पुनरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि फिटमैन्ट तालिका का लाभ केवल एक बार ही वेतन पुनरीक्षण में अनुमन्य है। किसी कार्मिक की पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के प्रकरणों में वेतन निर्धारण के लिए तत्समय प्रवृत्त सामान्य वित्तीय नियम लागू होंगे।

6. शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा शासनादेश सं0–732 दिनांक 25 सितम्बर, 2013 की व्यवस्था का लाभ समस्त अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 के कार्मिकों को भी अनुमन्य किया जा रहा है। स्पष्ट किया जाना है कि कुछ विभागों में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व लागू अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 को दिनांक 01.01.2006 के पश्चात अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 7450–11000 में उच्चीकृत/संशोधित किया गया। शासनादेश सं0–395 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में उक्त वेतनमान की फिटमैन्ट तालिका दिनांक 01.01.2006 अथवा उसके उपरान्त उच्चीकरण/पुनरीक्षण वेतनमान के लिए उपलब्ध न होने के कारण उक्त शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2013 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 सादृश्य पी0बी0–2 रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600 की फिटमैन्ट तालिका निर्गत की गई है। अतः स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2013 का लाभ उन पदधारकों को अनुमन्य नहीं होगा जिनके अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 को रू0 7450–11000 में उच्चीकृत नहीं किया गया है।

7. शासनादेश सं0–700/XXVII(7)/30(5)/2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 सपठित शासनादेश सं0–745/XXVII(7)27(20)2013 दिनांक 10 अक्टूबर,2013 द्वारा वाहन भत्ते की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त शासनादेशों के अनुसार पुनरीक्षित वाहन भत्ता उन कार्मिकों को भी अनुमन्य किया जा रहा है जिनका उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के नियम–38(1)सपठित परिशिष्ट–12 एवं नियम–82 सपठित परिशिष्ट–8 में नहीं है। इस प्रकार यह वित्तीय अनियमितता है।

8. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित उक्तानुसार व्यवस्था के विपरीत अनुमन्यता से अधिक के वेतन/वेतनमान, समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन/भत्ते स्वीकृत कर दिए गए हैं, वे अपने आदेशों का

परीक्षण करके देय तिथि को सही वेतनमान/भत्तों के निर्धारण के आदेश निर्गत करें। जो भी अधिक धनराशि सम्बन्धित कर्मियों को भुगतान की गई है, उस धनराशि का सम्बन्धित कर्मी के आगामी माहों में प्राप्त हो रहे वेतन से करके उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भविष्य के लिए किसी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमन्यता से अधिक का वेतनमान/भत्ते उक्त की भांति स्वीकृत करने से यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है और यह तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को ही इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा और उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित कार्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक का भी यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के प्रकरणों को शासन के संज्ञान मे लायें। त्रुटिपूर्ण वेतनमान अनुमन्य होने पर उस कर्मी के गलत वेतनमान के आधार पर अधिक धनराशि के कोषागार से आहरित होने पर वह भी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

9. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:/61/XXVII(7)/40(IX)/2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 147 /XXIV(1)/न०सृ०अनु० / 40 / 2017 T.C.III

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड ।

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 15 फरवरी 2018

विषय– प्रदेश के जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में मध्याह्न भोजन योजना प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–रा0प0का0 / 577 / एम0डी0एम0 / 34 / 2017–18 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को केन्द्रीयकृत किचन में पूर्णतः मशीनीकृत, साफ एवं स्वच्छ तरीके से निर्मित पौष्टिक गरम, पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा शिक्षकों को शिक्षणेत्तर दायित्वों से मुक्त करने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर में स्वैच्छिक संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से मध्याह्न भोजन वितरण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्था को मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने हेतु केन्द्रीयकृत किचन की स्थापना के दृष्टिकोण से दो से ढाई एकड़ भूमि "नामिनल" दर ₹ 1000/– (रूपये एक हजार) प्रतिवर्ष, प्रति एकड़ की दर पर 30 वर्ष के लिए उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका नवीनीकरण तीन वर्षों के लिए कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किया जा सकेगा। संस्था को उक्त धनराशि लाइसेंस पर भूमि प्राप्त करने से पूर्व एकमुश्त अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी।
2. प्रश्नगत स्वैच्छिक संस्था को केन्द्रीकृत किचन की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जा रही भूमि नगर निगम / माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा / जिला प्रशासन आदि के स्वामित्व में होने के दृष्टिगत भूमि स्वामित्व के अनुसार जिलाधिकारी / नगर आयुक्त / माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा अथवा शासन द्वारा नामित उप सचिव स्तर / उससे उच्च स्तर के शिक्षा निदेशालय / मण्डल / जनपद स्तर के अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था को केन्द्रीयकृत भोजनालय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि का स्वामित्व पूर्ववत सरकार का ही रहेगा तथा संस्था से मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम संचालन हेतु विहित समयावधि तक मात्र उपयोग / उपभोग का अधिकार (Right to Use) होगा, जिसके लिए संस्था द्वारा सरकार को निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा। भूमि पर कोई भी निर्माण शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा एवं उक्त निर्माण स्थानीय भवन निर्माण मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

—2

3. मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम संचालित करने हेतु एक अनुपूरक एम0ओ0यू0 (Supplementary Memorandum of Understanding) (निर्धारित प्रारूप संलग्न)का निष्पादन जनपद में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के मध्य किया जायेगा।

4. उक्त उद्देश्य हेतु आवश्यक भूमि सरकार द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा हंस फाउण्डेशन तथा अक्षय पात्र संस्था द्वारा CSR के तहत किचन निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों/छात्रों का विवरण राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा स्वैच्छिक संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यदि संस्था को दी जाने वाली भूमि दो विभागों से संबंधित होगी तो दोनों विभागों की सहमति के उपरांत शासन द्वारा नामित उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर के शिक्षा निदेशालय/मण्डल/जनपद स्तर के विभागीय अधिकारियों अथवा संबंधित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर संस्था को भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6. उक्त योजना के संचालन हेतु शासनादेश सं0 82/XVIII(2)/2018-18(74)/2017 दिनांक 6 फरवरी 2018 के निहित प्रावधानों के आधार पर जिला अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर को अक्षय पात्र संस्था को पटटे/लीज पर भूमि देने हेतु अधिकृत किया गया है।

7. मध्याह्न भोजन योजना हेतु स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रश्नगत जनपद में पृथक से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा जिसमें राज्य/जनपद स्तर से प्राप्त धनराशि का अन्तरण किया जा सकेगा।

8. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेशों एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में उक्त स्वयंसेवी संस्था एवं शासन द्वारा अधिकृत महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा जो कि भविष्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अधीन होगा।

9. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) भारतीय खाद्य निगम एवं क्षेत्रीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान के समय खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति में स्वयंसेवी संस्था का भी प्रतिनिधि होगा। यदि आवश्यक हो तो अलग से जाँच समिति गठित की जायेगी जिसमें राज्य स्तर/जनपद स्तर के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि नामित होंगे।

10. यदि संस्था द्वारा अपने उत्तरदायित्व या पूर्व अनुमति से विद्यार्थियों को और अधिक गुणवत्ता युक्त गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो शासन/प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी।

11. बच्चों को उपलब्ध कराये जाने वाले अधिक गुणवत्ता/पौष्टिकता युक्त भोजन में जिन सप्लीमेन्टस (प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैलोरी आदि) का उपयोग किया जायेगा, उसका अलग से मीनू में उल्लेख जनसामान्य के अवलोकनार्थ विद्यालय की दीवार पर एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए स्वैच्छिक संस्था द्वारा किया जायेगा।

12. प्रश्नगत स्वंय सेवी संस्था को अनुबंध के आधार पर जिला स्तर/राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का अलग–अलग विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही महालेखाकर एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा

कराये जाने वाले ऑडिट के सम्मुख समस्त अभिलेख भी प्रस्तुत कराये जायेंगे।

13. किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत शासन/प्रशासन के निर्देश पर जनसामान्य को सुविधा देने के हितार्थ, संस्था के संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा।

14. स्वयं सेवी संस्था द्वारा सेवा प्रदान किये जाने में कमी पाये जाने अथवा मैमोरण्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (एम0ओ0यू0) के प्राविधान का उल्लंघन किये जाने पर सरकार उचित कारणों के साथ स्वयं सेवी संस्था को नोटिस दे सकती है, जिसका स्पष्टीकरण स्वयं सेवी संस्था को यथोचित कारणों के साथ 15 दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात आवश्यक सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त समय स्वयं सेवी संस्था को दिया जायेगा तथा स्वयं सेवी संस्था को समुचित कारणों से अवगत भी कराया जायेगा जिससे कि किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति/सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था द्वारा वितरित भोजन की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शास्ति की वसूली जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी। प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी अपेक्षित सुधार न होने की दशा में सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्था को 3 महीने का नोटिस देकर किया गया अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

15. स्वयं सेवी संस्था को यदि जनपद स्तर में किन्हीं कारणों से दोषी पाया जाता है तो प्रदत्त शास्ती के विरुद्ध संस्था द्वारा प्रत्यावेदन/अपील, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिस पर गुण–अवगुण के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा। उक्त निर्णय अंतिम होगा।

16. केन्द्रीयकृत किचन की स्थापना एवं तैयार किये गये भोजन को विद्यालयों तक पहुंचाने की व्यवस्था आदि पर होने वाले समस्त धनराशि के व्ययभार का वहन प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

17. स्वयं सेवी संस्था द्वारा भोजन वितरण विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोइया (भोजनमाता) के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु रसोइया (भोजनमाता) को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान पूर्व की भांति किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व संबंधित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की जाँच प्रधानाध्यापक/अधिकृत शिक्षक द्वारा करने के उपरांत ही भोजन का वितरण किया जा सकेगा।

18. विद्यालयों में पूर्व से संचालित भोजनालय का उपयोग संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन को एकत्रित कर बच्चों को वितरित किये जाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भोजन पकाने के प्रयोजन से किया जा सकेगा।

19. यदि भविष्य में प्रश्नगत संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा अन्य जनपदों में योजना के विस्तार विषयक प्रस्ताव उपलबध कराया जाता है तो इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जायेगा।

20. स्वयं सेवी संस्था द्वारा भूमि एवं किचन निर्माण से पूर्व विभिन्न विभागों से यथा वन विभाग, स्थानीय पंचायत, श्रम विभाग, एम0डी0डी0ए0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) आदि से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नियमानुसार आवेदन करने पर जिला प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध कराया जायेगा।

21. स्वयं सेवी संस्था द्वारा तैयार किया गया भोजन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत विद्यालय मध्यांतर अवकाश से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ताकि मध्यांतर के समय ही बच्चों को भोजन उपलब्ध करा दिया जाये।

—4

22. स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन में आयरन की मात्रा सुनिश्चित करने हेतु खाद्य पदार्थ यथा सब्जी आदि बनाने के लिए यथासंभव लोहे के बर्तन का उपयोग किया जायेगा।

23. स्वयं सेवी संस्था द्वारा निर्मित केन्द्रीयकृत किचन के निरीक्षण हेतु शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कभी भी किसी समय भी केन्द्रीयकृत किचन का अवलोकन कर जाँच की जा सकती है।

24. स्वयं सेवी संस्था द्वारा केन्द्रीयकृत किचन के माध्यम से छात्रों को पका पकाया गरम भोजन उपलब्ध कराने हेतु किये गये व्यय के भुगतान हेतु प्रत्येक माह की **05 तारीख** तक विद्यालयों के एम0डी0एम0 पंजिका में अंकित लाभान्वित छात्रों के आधार पर तैयार बिल के सत्यापन (विद्यालयवार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रमाण-पत्रों के आधार पर)जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा एवं तैयार बिलों के सत्यापन के आधार पर मासिक बिल का भुगतान किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा तत्पश्चात् भुगतान की कार्यवाही एवं नियमानुसार कर (Tax) की कटौती की जायेगी।

25. भोजन तैयार करने एवं वितरण करने की प्रक्रिया में लगी प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था भवन निर्माण, खाद्यान्न गुणवत्ता, स्वास्थ्य, पोषण, चिकित्सा परीक्षण इत्यादि जैसे विषयों पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था का होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का उपरोक्तानुसार विस्तार व संचालन किये जाने हेतु सरकार के पास पूर्व से उपलब्ध भूमि का ही उपयोग किया जायेगा। उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि से संबंधित प्रशासकीय विभाग सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय धनराशि ही प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। पृथक से अन्य धनराशि उपलब्ध कराये जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या– 298 /XXIV–2/18–06(01)/2008

प्रेषक,

कवीन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 25 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2018**

विषय– विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पदों का नवीन मात्राकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–सेवायें–3/20540/2017–18 दिनांक 15.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्ग के संशोधित पैटर्न के फलस्वरूप वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पदों का नवीन मात्राकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– अवगत कराया जाना है कि शासनादेश संख्या–323/XXIV–2/16–06(01)/2008 दिनांक 29 मार्च 2016, द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढांचे को स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठित किया गया था। चूंकि कार्मिक विभाग ने कार्यालय ज्ञाप संख्या–90/XXX(2)/2016–30(51)/2015 दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्थापित स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन किया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–204/XXVII(7)35(3)/2013 दिनांक 28.10.2016 में निहित प्राविधनों के अनुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पदों का निम्नानुसार नवीन मात्राकरण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. स.	**पदनाम**	**ग्रेड वेतन**	**निर्धारित प्रतिशत**	**निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या**
1	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	5400	6 प्रतिशत	03
2	वैयक्तिक अधिकारी	4600	15 प्रतिशत	08
3	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	4200	35 प्रतिशत	19
4	वैयक्तिक सहायक	2800	44 प्रतिशत	24
	कुल पद			**54**

3– उक्त संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कार्यालयवार पदों को निम्नानुसार विभाजित/मात्राकृत भी किया जाता है:–

क्र.स.	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद			
		मु.वै.अधि. 5400	वै.अधि. 4600	व.वै.सहा. 4200	वै.सहा. 2800
1	महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा	1	1	—	—
2	निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा	1	1	—	—
3	निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा	1	1	—	—
4	निदेशालय अका0शो0 एवं प्रशि0 उत्तराखण्ड	—	1	—	—
5	एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड	—	1	1	—
6	बोर्ड कार्यालय	—	1	1	—
7	अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	—	1	—	—
8	अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।	—	1	—	—
9	अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	—	—	1	—
10	अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।	—	—	1	—
11	मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।	—	—	1	1
12	मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी	—	—	1	1
13	मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली	—	—	1	1
14	मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी	—	—	1	1
15	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी	—	—	1	1
16	मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	—	—	1	1
17	मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	—	—	1	1
18	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर	—	—	1	1
19	मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल	—	—	1	1
20	मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा	—	—	1	1
21	मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर	—	—	1	1
22	मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़	—	—	1	1
23	मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत	—	—	1	1
24	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), देहरादून।	—	—	—	1
25	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), पौड़ी	—	—	1	—
26	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चमोली	—	—	—	1

27	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) टिहरी	–	–	–	1
28	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) उत्तरकाशी	–	–	–	1
29	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) रुद्रप्रयाग	–	–	–	1
30	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) हरिद्वार	–	–	–	1
31	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) उधमसिंह नगर	–	–	–	1
32	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) नैनीताल	–	–	1	–
33	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) अल्मोड़ा	–	–	–	1
34	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) बागेश्वर	–	–	–	1
35	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) पिथौरागढ़	–	–	–	1
36	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चम्पावत	–	–	–	1
	योग	3	8	19	24

भवदीय,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 298 (1) /XXIV-2/18-06(01)/2008 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा. शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक / अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5. अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक / बेसिक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊॅ मण्डल, नैनीताल।
6. प्रभारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. कार्मिक अनुभाग–2 एवं वित्त अनुभाग–7,उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मो० अबैदुल्लाह अंसारी)
अनु सचिव

सं0 698 /XXIV(1) /2018–20 / 2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) **देहरादूनः दिनांकः 03 अगस्त, 2018**

विषयः माध्यमिक स्तर पर संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एन0टी0एस0ई0) छात्रवृत्ति में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एस0सी0ई0आर0टी0 / 1983 / शो0मू0–06(1) / 2018–19 दिनांक 25.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एन0टी0एस0ई0) का संचालन प्रतिवर्ष किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (प्रथम चरण) में राज्य हेतु निर्धारित कोटे के अन्तर्गत चयनित छात्र–छात्राओं को एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माना जाता है। एन0सी0ई0आर0टी0 की वेबसाईट में एन0टी0एस0ई0 की परीक्षा 2019 के सूचनापत्रक के बिन्दु संख्या–3.1.4 में यह व्यवस्था है कि ''राज्य सरकार एन0टी0एस0ई0 परीक्षा हेतु शुल्क निर्धारित कर सकती है।''

3. उत्तराखण्ड राज्य में इस छात्रवृत्ति परीक्षा में अत्यधिक नामांकन होने के कारण आवेदन पत्रों का मुद्रण, प्रश्न पुस्तिकाओं एवं ओ0एम0आर0 का मुद्रण किये जाने पर अत्यधिक धनराशि का व्यय हो रहा है। वित्तीय संसाधनों में कमी के कारण इस परीक्षा के निःशुल्क संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः परीक्षा के सफल संचालन हेतु एन0टी0एस0ई0 की परीक्षा 2019 के सूचनापत्रक के **बिन्दु संख्या–3.1.4 फीस**, में उल्लिखित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्पादित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (प्रथम चरण) की परीक्षा में आवेदन हेतु निजी विद्यालय के छात्रों के लिये निम्नवत् शुल्क का निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त की जाती हैः–

सामान्य / अन्य श्रेणी विद्यार्थी	–	**रू0 200 / – (रू0 दो सौ)**
एस0सी0 / एस0टी0 / दिव्यांग विद्यार्थी	–	**रू0 100 / – (रू0 सौ)**

4. राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को उक्त फीस से छूट प्रदान की जाती है तथा ऐसे छात्र–छात्राओं

को आवेदन पत्र का वितरण सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा यथावश्यकतानुसार किया जायेगा।

5. आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क का उपयोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के संचालन हेतु ही किया जायेगा।

6– आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क से प्राप्त आय–व्यय का विवरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सॅख्या–11(म.)/XVII(3)/2017–18 दिनांक 03.08.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्याः-८६८/XVII-5/16/09(17)/2004

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) **मण्डलायुक्त,**
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

(vi) **समस्त विभागाध्यक्ष**
उत्तराखण्ड।

(v) **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
(उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून :दिनांक०८ जुलाई 2016**

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को प्रायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–595/XVII-5/16-09(17)/2004 दिनांक 09.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भविष्य में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) द्वारा केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों/निगमों में प्रायोजित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को भी विभिन्न विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में विभागीय मांग के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया, उपरोक्तानुसार उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को भी विभिन्न विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में विभागीय मांग के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किया जाय। शासनादेश संख्या–595/XVII-5/16-09(17)/2004 दिनांक 09.06.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्राविधान पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– — (1)/XVII-5/16–09(17)04: तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 690/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/149/2017 T.C.II
देहरादूनः दिनांक 30 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000–01 से तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वर्ष 2009–10 से भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में संचालित हैं। वर्तमान में दोनों कार्यक्रमों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में व्ययभार वहन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D.O. No.2-16/2017-EE-3 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के द्वारा उक्त दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत करायी जा रही गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों के सुनियोजित उपयोग एवं व्यय भार को कम करने के दृष्टिगत राज्य एवं जनपद स्तर पर दोनों सोसायटी के एकीकरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् को यथावत् रखते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का इसमें विलय किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु गठित सोसायटी) की नियमावली के बिन्दु–4 (Objects) के अनुसार माध्यमिक स्तर पर संचालित होने वाले केन्द्र सहायतित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा तथा बिन्दु–5 (Functions) में भी माध्यमिक स्तर पर संचालित क्रियाकलापों को समाहित किया जायेगा।

अतएव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् में एतद्द्वारा विलय किया जाता है।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या 690 (1)/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/149/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

2– निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

3– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

4– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उनके पत्रांक/ अ0रा0प0नि0/1239/प्रशा0–नवीन ढाँचा/2017–18 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के क्रम में।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

संख्या 311 /XVII-C-1/2024-09(17)/2004-TC-2

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) **मण्डलायुक्त,**
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

(iv) **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
उत्तराखण्ड।

(v) **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग देहरादून : दिनांक 26 **फरवरी, 2024**

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–500/XVII-5/2018-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 10 मई, 2018 एवं शासनादेश संख्या–735/ XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 'उपनल' के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय का पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मानदेय (Basic Wages) तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

(धनराशि रू0 में)

क.सं.	मानदेय/कटौती का विवरण	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिकारी
1	BASIC WAGES	9187	10571	11737	13057	39171
2	GRATUTY 4.81% OF SER NO. 1	442	508	565	628	0
3	HOUSE ALLOWANCE 10%OF SER NO. 01	919	1057	1174	1306	0
4	CLOTHING ALLOWANCE 10%OF SER NO. 01	919	1057	1174	1306	0
5	BONUS 8.33 % OF RS 7000	583	583	583	583	0
6	**TOTAL (SER NO. 1 TO 5)**	**12050**	**13776**	**15233**	**16880**	**39171**
7	EPF 13% OF SER NO. 1 (EMPLOYER SHARE)	1194	1374	1526	1697	0
8	ESIC 3.25% OF SER NO. 6 (EMPLOYER SHARE), WHERE APPLICABLE	392	448	495	549	0
9	**TOTAL (SER NO. 6 +7+8)**	**13636**	**15598**	**17254**	**19126**	**39171**

STATUTORY DEDUCTIONS						
10	EPF 13 %OF SER NO. 1 (EMPLOYER SHARE)	1194	1374	1526	1697	0
11	ESIC 3.25% OF SER NO. 6 (EMPLOYER SHARE), WHERE APPLICABLE)	392	448	495	549	0
12	EPF 12% OF SER NO. 1 (EMPLOYEE,S SHARE)	1102	1269	1408	1567	0
13	ESIC 0.75% OF SER No.6 (EMPLOYEE SHARE) WHERE APPLICABLE	90	103	114	127	0
14	**TOTAL DEDUCTIONS (SER NO 10+11+12+13)**	**2778**	**3194**	**3543**	**3940**	**0**
15	**NET IN HAND TO EMPLOYEE (SER NO 9-14)**	**10858**	**12404**	**13711**	**15186**	**39171**
16	LEAVE RELIEF 28.98% OF SER NO. 9	0	0	0	0	0
17	SERVICE CHARGE 2.5% OF SER NO. 9	341	390	431	478	979
18	TOTAL SER NO. (9 + 17)	13977	15988	17685	19604	40150
19	GST 18% OF SER NO. 18	2516	2878	3183	3529	7227
20	**TOTAL PAYABLE BY PRINCIPAL EMPLOYER S.N. (18+19)**	**16493**	**18866**	**20868**	**23133**	**47377**

2. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

3. सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

4. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, शासन की सहमति से उपनल द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से देय होगा। इस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा, लेकिन जी0एस0टी0 (जी0एस0टी0 एक्ट) के मुताबिक देय होगा।

5. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 595/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या–685/XVII-5/16-09 (17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016, शासनादेश संख्या–424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं उक्त कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में शासनादेश संख्या–640/ XVII-5/ 2020-09(26)/2014(TC), दिनांक 10 अगस्त, 2020 एवं शासनादेश संख्या–493/XVII-C-1/ 2021-09(17)/ 2004(TC-2), दिनांक 12 मई, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपनल के कार्मिकों को देय अवकाश के संबंध में शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09 (17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 व शासनादेश संख्या–1187/XVII-5/17-09(30)/2013, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 व शासनादेश संख्या–735/XVII-5/2020-09(17)/2004TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 व शासनादेश संख्या–190(1)/XXVII(7)/34(1)/2009, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या–156931(1)/XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक 25 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–735/XVII-5/2020-09(17)/2004(TC-1), दिनांक 21 अगस्त, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–I/193415/2024, दिनांक 23 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 26-02-2024 13:47:31
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 311 (1)/XVII-5/2024-09(17)2004-TC-2 : तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,
Signed by Nirmal Kumar
Date: 26-02-2024 13:49:36
(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 96/ /XXIV-नवसृजित/2018-07(01)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित देहरादून: दिनांक 26 सितम्बर, 2018

विषय - **Trans/Third Gender बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि Trans/Third Gender बच्चों द्वारा विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिया जाता है और न ही वे सामान्य नागरिक की तरह देश की प्रगति में योगदान देने में सक्षम हो पाते हैं, फलस्वरूप प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों (राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय व अन्य निजी शिक्षण संस्थानों) में Trans/Third Gender बच्चों को प्रवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, ताकि वे सामान्य बच्चों भांति शिक्षा ग्रहण कर समाज के विकास में उचित योगदान प्रदान कर सकें।

2- अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह सुनिश्चत किया जाय कि प्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु Trans/Third Gender बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समुचित प्रोत्साहन प्राप्त हो।

भवदीय,
26/9/18
(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-96(1)/ XXIV- नवसृजित/2018-07(01)/2017 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– ——/XXVII(6)/एक/398/2006/18

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून: दिनांक 12 अक्टूबर, 2018

विषय– उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 6) की धारा–51 के प्राविधान दिनांक 01.10.2018 से लागू होने के फलस्वरूप आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रकिया विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 6) की धारा–51 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः 858 एवं 859/2018/16(120)/XXVII(8)/2018/CT-50 एवं CT-51 दिनांक 27 सितम्बर, 2018 के माध्यम से इस व्यवस्था को राज्य में दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से लागू किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर की नवीन प्रणाली में स्रोत पर कर की कटौती एवं भुगतान के सम्बन्ध में **दिनांक 01 अक्टूबर, 2018** से राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को राज्यपाल महोदय निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) कोषागार से पारित होने वाले देयकों के सम्बन्ध में :

1. माल और सेवा कर (GST) की नवीन प्रणाली में किसी संविदा के अधीन सप्लायर (Supplier) को दिये गये रू0 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2% (1% CGST एवं 1% SGST) स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी।
2. स्रोत पर कर की कटौती के लिए सभी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करके अपना–अपना पृथक–पृथक माल और सेवा कर पहचान नम्बर (GSTIN) प्राप्त करेंगे।
3. स्रोत पर कर की कटौती के लिए आहरण वितरण अधिकारी को जीएसटीएन पोर्टल पर अपने GSTIN का प्रयोग करके लागइन करना होगा।
4. जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगइन के उपरान्त सिस्टम पर जीएसटी टीडीएस का चालान (CPIN) जनरेट करके सुसंगत लेखाशीर्षक में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण भरा जायेगा।
5. तत्पश्चात आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार पोर्टल पर अन्य कोषागार देयकों की भाँति उक्त CPIN का प्रयोग करते हुये सप्लायर (Supplier) से सम्बन्धित देयक को कोषागार सिस्टम पर तैयार किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार पोर्टल पर देयक को सफलतापूर्वक तैयार कर लेने एवं अनुमोदित कर देने के उपरान्त सम्बन्धित देयक का प्रिन्ट लेकर उसके साथ जीएसटीएन पोर्टल पर स्रोत पर जीएसटी टीडीएस कटौती से सम्बन्धित जनरेट किये गये चालान की प्रिन्ट की हुयी प्रति को संलग्न करके कोषागार में देयक को भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

7. कोषागार में कन्टीजेन्सी से सम्बन्धित अन्य देयकों को पारित किये जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अधीन इस देयक का भी परीक्षण उसी भाँति करके देयक के सही होने पर ई–कुबेर के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
8. जीएसटी की प्रणाली में स्रोत से कर की कटौती का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अंश के सफलतापूर्वक पोस्टिंग के उपरान्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट होगा जो जीएसटीएन पोर्टल पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के लिए उपलब्ध रहेगा।
9. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की काटौती से सम्बन्धित विवरण को जी0एस0टी0एन पोर्टल पर देखा जा सकेगा और इसकी रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकेगी।
10. स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरणों की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी के लिए समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रारूप–1 पर एक पंजिका तैयार की जायेगी, जो कटौतियों की मासिक सूचना (Form GSTR-7) को तैयार करने में सहायक होगा तथा जीएसटीएन पोर्टल पर ऑफलाइन यूटिलिटी के प्रयोग के लिए भी सहायक होगी।
11. स्रोत से कर की कटौती की मासिक सूचना को तैयार करने के बाद सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इससे सम्बन्धित मासिक प्रमाण–पत्र (Form GSTR-7A) जीएसटीएन पोर्टल पर सिस्टम से जनरेट किया जायेगा।

<u>(ख) ऐसे देयक जो कोषागार से पारित नहीं होते हैं, के सम्बन्ध में :</u>

राज्य सरकार से अनुदानित संस्थाओं, स्थानीय निकायों, परिषदों, निगमों आदि में जिनका भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं होता है, सप्लायर (Supplier) को किये गये भुगतान में से नवीन प्रणाली के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती (TDS) एवं भुगतान के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत् होगी:–

1. राज्य सरकार से अनुदानित संस्थाओं, स्थानीय निकायों, परिषदों, निगमों आदि के प्रशासकों द्वारा भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करने, जीएसटीआईएन प्राप्त करने और माल एवं सेवा कर की नवीन प्रणाली में 2% (1% CGST एवं 1% SGST) स्रोत पर सेवाकर की कटौती की धनराशि को जमा करने के लिये जीएसटीएन पोर्टल का प्रयोग किया जायेगा।
2. सिस्टम में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण सफलतापूर्वक भरके चालान (CPIN) जनरेट कर लेने के उपरान्त जीएसटीएन पोर्टल पर OTC मोड में उस बैंक को सेलेक्ट करके चालान की धनराशि को जमा करेंगे जिस बैंक में सप्लायर (Supplier) से सम्बन्धित जीएसटी की कटौती की धनराशि जमा की जानी है।
3. जीएसटी की धनराशि सफलतापूर्वक जमा हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित बैंक द्वारा एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट किया जायेगा जो इलैक्ट्रानिक मोड में जीएसटीएन पोर्टल में सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकरी के लिये उपलब्ध होगा। भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी इसका प्रिन्ट ले सकेंगे।
4. माल और सेवा कर (GST) की नवीन प्रणाली में सप्लायर (Supplier) को रूपये 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2% स्रोत पर कर की कटौती एवं भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. स्रोत पर कर की कटौती के लिए सभी सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करके अपना–अपना पृथक–पृथक माल और सेवा कर पहचान नम्बर (GSTIN) प्राप्त करेंगे।
6. स्रोत पर कर की कटौती के लिए भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी को जीएसटीएन पोर्टल पर अपने GSTIN का प्रयोग करके लागइन करना होगा।
7. जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगइन के उपरान्त सिस्टम पर चालान (CPIN) जनरेट करके सुसंगत लेखाशीर्षक में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण भरा जायेगा।
8. जीएसटी की प्रणाली में स्रोत से कर की कटौती का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अंश का सफलतापूर्वक पोस्टिंग के उपरान्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट होगा जो जीएसटीएन पोर्टल पर सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी के लिए उपलब्ध रहेगा।

9. भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरण को जी0एस0टी0एन पोर्टल पर देखा जा सकेगा और इसकी रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकेगी।
10. स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरणों की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी के लिए भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारूप–1 पर एक पंजिका तैयार की जायेगी, जो कटौतियों के मासिक सूचना (Form GSTR-7) को तैयार करने में सहायक होगा तथा जीएसटीएन पोर्टल पर ऑफलाइन यूटिलिटी के प्रयोग के लिए भी सहायक होगी।
11. स्रोत से कर की कटौती की मासिक सूचना को तैयार करने के बाद भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा इससे सम्बन्धित मासिक प्रमाण–पत्र (Form GSTR-7A) जी0एस0टी0एन पोर्टल पर सिस्टम से जनरेट किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन अपने–अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों से सम्बद्व आहरण वितरण अधिकारियों से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

<u>संख्या– 192 / XXVII(6) / एक / 398 / 2006 / 18, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य / प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक कोषागार,पेंशन एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / वित्त अधिकारी भुगतान एवं लेखा कार्यालय / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. राज्य एन0आई0सी0, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।

संख्याः 123 /XXX(2)/2019-30(1)/2019

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
   सचिव / सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2019**

विषयः राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र।

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 में की गयी है। अधिनियम की धारा 7 में यह प्राविधानित है कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वाँछित औपचारिकतायें पूर्ण कराकर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी होंगे।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र के प्रयोजन से परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों / शहरों में अर्जित भूमि और सम्पत्ति को संयोजित (Club) करते हुए सम्यक परीक्षणोपरान्त आवेदक को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर) निर्गत किये जायेंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सेवा नियमों के अनुसार, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के साथ–साथ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र का भी सत्यापन कराये जाने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) रखी जायेगी। यदि आय एवं सम्पति प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थी का प्रमाण–पत्र जाली / गलत पाया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित पद के विज्ञापन में आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

6. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनपद के प्रत्येक जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी / तहसीलदार उक्त नीति के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा न हो।

संलग्नक–यथोक्त।

संख्या– 523 /430/XXVII(6)/2016/2020

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त।
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

विषयः–कार्मिको की सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावलियों एवं पेंशन प्राधिकार पत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों के डिजिटाईजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में अवस्थित सभी कार्यालयों के कार्मिको के अभिलेखो का डिजिटाईजेशन किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिजिटाईजेशन का कार्य चरणबद्ध रूप से सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं:–

1. प्रत्येक कार्यालय हेतु विभागाध्यक्ष एक नोडल अधिकारी को नामित करेगा, जो मूल अभिलेखों को उक्त स्थल तक लाने, सभी सुसंगत अभिलेखो को डिजिटाईजेशन कराने, उसका सत्यापन करने एवं सुरक्षित सभी मूल अभिलेखों को वापिस अपने कार्यालय में ले जाने जाने हेतु उत्तरदायी होगा।
2. डिजिटाईजेशन का कार्य देहरादून में निर्धारित स्थल पर किया जायेगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी। समस्त विभागाध्यक्ष के कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित समस्त मूल अभिलेखों को डिजिटाईजेशन हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्धारित दिनांक एवं समय पर उक्तानुसार निर्धारित स्थल पर विभागाध्यक्ष द्वारा नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कराया जायेगा।
3. निदेशक, कोषागार, आई0एफ0एम0एस0 डाटा के आधार पर प्रत्येक विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ डीडीओ के कार्मिकों की संख्या ऑकलित कर उनका रोस्टर बना कर दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक सभी विभागाध्यक्षों को अवगत करायेंगे। इसी आधार पर निर्धारित दिनांको में रोस्टर के अनुसार, जो 01 जनवरी 2021 से प्रारम्भ होगा, सभी विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय यथानिर्दिष्ट वॉछित औपचारिकतायें पूर्ण कर सेवा अभिलेखों को डिजिटाइज कराने हेतु नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करायेंगे।
4. **निम्नलिखित सेवा अभिलेखों को डिजिटाईज किया जाना प्रस्तावित है :–**
   - क. सेवा पुस्तिका
   - ख. कार्मिको की व्यक्तिगत पत्रावली।
   - ग. चरित्र पंजिकायें।
   - घ. कोषागार में रक्षित पेंशन प्रपत्र।
   - च. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के कार्यालय में रक्षित आई0पी0एस0, आई0एफ0एस0, न्यायिक सेवायें व वित्त सेवा के सेवा–अभिलेख।
   - छ. सचिवालय स्थित इरला चेक अनुभाग के प्रान्तीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा एवं अखिल भारतीय सेवा तथा सचिवालय सेवा संवर्ग के सेवा अभिलेख।

4.(क). सेवा पुस्तिका को डिजिटाईजेशन कराने के पूर्व, निम्न कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी :–

1. सेवा पुस्तिका के सभी स्तम्भ पूर्ण रूप से भरे हो, इसकी जॉच की जायेगी एवं अपूर्ण प्रविष्टियों को पूर्ण किया जायेगा।
2. सभी तरह के नामॉकन–प्रपत्रों को पूर्ण करते हुये सेवा पुस्तिका में यथा–स्थान चस्पा किया जायेगा।
3. सभी प्रकार के अनुमन्य वेतन निर्धारण आदेश सेवा पुस्तिका में चस्पा किये जायेंगे एवं उनका अंकन यथा स्थान सेवा पुस्तिका में किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के अवकाश, जिनका अंकन सेवा पुस्तिका में होता है,उसे पूर्ण कर हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं सेवा पुस्तिकाओं में उनका यथा–स्थान अंकन किया जायेगा।

5. सेवा के दौरान धारित प्रत्येक घटना का सेवा पुस्तिका में अंकन पूर्ण किया जायेगा एवं विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप दण्डादेश, पदावनत आदेश का अंकन करते हुये उसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में पूर्ण की जायेगी।
6. सेवा का सत्यापन एवं वेतन वृद्धि आदि का अंकन करते हुये अनुमन्य वेतन का यथास्थान अंकन पूर्ण किया जायेगा।
7. सभी तरह से पूर्ण सेवा पुस्तिका एवं उसमें चस्पा सभी प्रपत्र डिजिटाईज किये जायेंगे।

4(ख). कार्मिको की व्यक्तिगत पत्रावली

कार्मिको की व्यक्तिगत पत्रावली से सम्बन्धित निम्न अभिलेख डिजिटाईज किये जायेंगे :–

1. प्रथम नियुक्ति से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं सेवा जोड़े जाने सम्बन्धित अभिलेख यदि लागू हो।
2. सेवा मे पदोन्नति, स्थानान्तरण, कार्यभार प्रमाणक, स्थायीकरण निलम्बन, पदावनत, विभागीय कार्यवाही संस्थित होने सम्बन्धी समस्त अभिलेख।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

कार्मिको के व्यक्तिगत पत्रावली के निम्न अभिलेख डिजिटाईशेन नहीं किये जायेंगे

1. किसी भी प्राकर के अवकाश आवेदन एवं स्वीकृति पत्र।
2. सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से स्थायी/अस्थायी अग्रिम का आवेदन–पत्र एवं स्वीकृति आदेश।
3. किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन एवं उसका अग्रसारण पत्र।
4. किसी भी कार्यालय/शासन से हुआ सामान्य पत्राचार।
5. कारण बताओ नोटिस एवं उसका प्रत्युत्तर।
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र की याचना सम्बन्धी पत्र।
7. विभागीय कार्यवाही संस्थित होने पर निर्गत चार्ज–शीट एवं उसका प्रत्युत्तर।

सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त गाइड–लाईन के अनुसार ही व्यक्तिगत पत्रावली के सुसंगत अभिलेखों को डिजिटाईज कराया जावेगा।

4(ग). <u>चरित्र पंजिकायें :–</u>

सभी कार्मिको की विगत दस वर्षो की चरित्र पंजिकायें ही डिजिटाईज करायी जायेगी।

<u>4(घ). कोषागार में रक्षित पेंशन प्रपत्र :–</u>

पेशंनर की पत्रावलियों के निम्न अभिलेख डिजिटाईज कराये जायेंगे :–

1. प्रथम बार निर्गत पेशंन प्राधिकार पत्र व अग्रसारण पत्र।
2. नवीनतम जीवन प्रमाण–पत्र।
3. संशोधित पेंशन प्राधिकार–पत्र/पेशंन पुनरीक्षण प्राधिकार पत्र का आदेशं
4. पेशंन पुनरीक्षण का गणना–पत्र।
5. वसूली आदि से सम्बन्धित अभिलेख।
6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति एवं भुगतान सम्बन्धी अभिलेख।
7. विगत 5 वर्षो के फार्म–16/आयकर गणना मीमों
8. पैन एवं आधार कार्ड की प्रतिं
9. बैंक ऋण हेतु दिया गया अन्डरटेंकिग।
10. प्रथम बार कोषागार से भुगतान होने की पंजिका

अभिलेख जो डिजिटाईज नहीं होंगे :–

1. नवीनतम जीवन प्रमाण पत्र को छोड़ कर पुराने जीवन प्रमाण–पत्र।
2. पेंशनरों से किया गया सामान्य पत्राचार।
3. 5 वर्षो से पुराने फार्म–16, आयकर गणना मीमो।

<u>4(च). निदेशक, कोषागार के कार्यालय से व्यवहृत होने वाले आईपीएस/आईएफएस/ न्यायिक सेवा/वित्त सेवा से सम्बन्धित अधिष्ठान के अभिलेख :–</u>

निदेशक, कोषागार के कार्यालय में रक्षित उक्त अभिलेखों मे से निम्न अभिलेख डिजिटाईज कराये जायेंगे :–

1. कार्मिको के अवकाश/प्रोन्नति/पदावनति/स्थानान्तरण/कार्यभार प्रमाणक सम्बन्धित अभिलेख एवं तद्‌क्रम में निर्गत वेतन पर्ची।
2. सेवा इतिहास एवं उनका सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख।

4(छ). सचिवालय स्थित इरला चेक अनुभाग के प्रान्तीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा एवं अखिल भारतीय सेवा तथा सचिवालय सेवा संवर्ग के सेवा अभिलेख :–

1. कार्मिको के अवकाश/प्रोन्नति/पदावनति/स्थानान्तरण/कार्यभार प्रमाणक सम्बन्धित अभिलेख एवं तद्क्रम में निर्गत वेतन पर्ची।
2. सेवा इतिहास एवं उनका सत्यापन सम्बन्धित अभिलेख।

5. डिजिटाइजेशन से पूर्व सेवा पुस्तिका के विवरण का अंकन सभी आहरण वितरण अधिकारियों को अनिवार्य रूप से आई0एफ0एम0एस0 में डीडीओ लॉगिन से करेंगे एवं पत्रावलियों की नम्बरिंग करायेंगे।

6. नोडल अधिकारी अभिलेखों को डिजिटाइज कराने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अभिलेखों को व्यवस्थित कर लिया गया हैं डिजिटाइज कराने के पूर्व देहरादून में प्रोजेक्ट में तैनात होने वाले कार्मिकों द्वारा यह भी सुनिश्चित जायेगा कि वॉछित अभिलेख ही डिजिटाईजेशन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है एवं अनावश्यक अभिलेख डिजिटाइज नहीं हो रहे है।

7. सेवापुस्तिका को unbind करने एवं स्कैन करने के उपरान्त bind करने का दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। इसी प्रकार जीर्ण–क्षीण अभिलेखों को दुरूस्त कर उसको स्कैन करने का भी दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। अभिलेखों का डिजिटाइज कराने हेतु सम्बन्धित कार्यालय को किसी भी तरह का कोई भुगतान सम्बन्धित फर्म को नहीं करना है।

8. डिजिटाइजेशन के कार्य का सतत पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक अतिरिक्त मानव संसाधन का प्रस्ताव निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, पी0एम0यू0 के माध्यम से हाई पावर कमेटी के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत करेंगे।

9. निदेशक, कोषागार ऐसी व्यवस्था बनवायेंगे कि अभिलेखों के डिजिटाईजेशन होने की प्रगति डीडीओ/विभागाध्यक्ष के लॉगिन पर देखी जा सकें तथा एक ऐसी एम0 आई0एस0 जनरेट हो कि उसमें इस कार्य की मॉनीटरिंग करना सम्भव हो सके। साथ ही आई0एफ0एम0एस0 के HRMS माड्यूल्स से उक्त कार्य को इन्टीग्रेट करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्राविधान किये जायेंगे एवं डिजिटाइज किये गये सेवा अभिलेखो का Concurent integration HRMS में किया जाता रहेगा। इस हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग निदेशक, कोषागार सुनिश्चित करायेंगे।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– /430/XXVII(6)/2016/2020,तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. परियोजना निदेशक, यू0के0पी0एफ0एम0एस0,देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी)
अनु सचिव।

संख्या– 566 /XXVII(6)/430/एक/2016/2020

प्रेषक,

सौजन्या
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 दिनांकः 31 दिसम्बर, 2020

विषयः– राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों को मैनुअल चालान के स्थान पर ई–चालान के माध्यम से जमा किये जाने की प्रक्रिया विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 के द्वारा राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों हेतु वर्तमान में लागू मैनुअल चालान की प्रक्रिया के स्थान पर आईएफएमएस पोर्टल में पूर्व से प्रचलित ऑनलाईन के साथ-साथ ऑफलाईन चालान जनरेट करके अधिकृत बैंकों में जमा किये जाने का प्रावधान किया गया है। आईएफएमएस पोर्टल से जनरेट ऑफलाईन चालान के माध्यम से राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों को 01 जनवरी, 2021 से समानान्तर रूप से तथा 01 अप्रैल, 2021 से पूर्णतः ई–चालान के माध्यम से निम्नानुसार चालान जमा करने की व्यवस्था को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. ऑनलाईन चालान की सुविधा के साथ वर्तमान में मैनुअल चालान के माध्यम से जमा की जाने वाली सरकारी प्राप्तियों को भी ई–चालान पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकेगा।
2. चालान जमाकर्ता ई–चालान से धनराशि जमा करने हेतु आईएफएमएस पोर्टल ekosh.uk.gov.in→ Login to cts→ e-Challan→ Create e-Challan user में वांछित विवरण भरकर एवं पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त ओ.टी.पी. का प्रयोग करते हुये पासवर्ड जनरेट किया जायेगा। पासवर्ड जनरेट करने के उपरान्त जमाकर्ता को यूजर आई0डी की जानकारी ई–चालान पंजीकरण फॉर्म के पेज एवं पंजीकृत मोबाईल नम्बर में एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त होगी।
3. ई–चालान जमाकर्ता को ट्रांजेक्शन/ई–चालान जमा होने की सूचना एस.एम.एस. एवं ई–मेल पर प्राप्त होगी।
4. ई–चालान जमाकर्ता द्वारा यूजर प्रोफाईल के अन्तर्गत ई–मेल आई0डी0, मोबाईल नम्बर इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है।
5. ई–चालान जमाकर्ता द्वारा आईएफएमएस पोर्टल में ई–चालान में विभाग, कार्यालय, सेवा, चालान की धनराशि एवं उद्देश्य का चयन/अंकन किया जायेगा।
6. ई–चालान की धनराशि को बैंक के पेमेन्ट गेटवे पर भुगतान के मोड (mode) का चयन कर जमा किया जायेगा।
7. बैंक के पेमेन्ट गेटवे में Netbanking एवं Other Payment Mode हेतु पृथक–पृथक दो विकल्प उपलब्ध होंगे।

8. नेट बैंकिग हेतु SBI Net banking एवं Other Banks Net Banking के विकल्प उपलब्ध होंगे।
9. Other Payment Modes के अन्तर्गत NEFT/RTGS तथा OTC (SBI branch) के विकल्प उपलब्ध होंगे।
10. Other Payment Modes से जनरेटेड चालान को भारतीय स्टेट बैंक की पूरे देश में किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है । ऑफलाईन चालान जनरेट करते ही चालान का डाटा आईएफएमएस सर्वर से भारतीय स्टेट बैंक के सर्वर को स्थानान्तरित हो जायेगा एवं बैंक में चालान जमा करते समय बैंक को पुनः डाटा इण्ट्री की आवश्यकता नहीं होगी । ऑफलाईन चालान से जमा धनराशि की पुष्टि सम्बन्धित विभाग/आहरण–वितरण अधिकारी को आईएफएमएस पोर्टल से ऑनलाईन कर सकेंगे ।
11. ई–चालान जमाकर्ता द्वारा NEFT/RTGS विकल्प के अन्तर्गत रेमिटेंस फॉर्म का प्रिण्ट लेकर NEFT/RTGS में Benificiary Reference Number एवं Benificiary Account Number का प्रयोग करते हुए अपने बैंक में आनलाईन अथवा बैंक में जाकर NEFT/RTGS के माध्यम से चालान की धनराशि को जमा किया जायेगा।
12. जमाकर्ता द्वारा आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ई–चालान के भुगतान की स्थिति एवं अन्य पूर्ण विवरण e-Challan History पर उपलब्ध होगा, जिसके द्वारा जमाकर्ता भविष्य में कभी भी पुराने चालानों का विवरण प्राप्त कर सकता है।
13. ई–चालानों का स्क्रॉल भारतीय स्टेट बैंक शाखा साईबर कोषागार, देहरादून द्वारा वित्तीय डाटा सेण्टर, डालनवाला, देहरादून को ई–मेल के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराया जायेगा।
14. वित्तीय डाटा सेण्टर, देहरादून द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त स्क्रॉल का मिलान आईएफएमएस पोर्टल से ई–चालान रिपोर्ट से किया जायेगा। वित्तीय डाटा सेण्टर, देहरादून द्वारा मिलान करने के उपरान्त ई–चालान की सदर कोषागारवार सूची तैयार कर पुनः भारतीय स्टेट बैंक शाखा साईबर कोषागार, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके आधार पर भारतीय स्टेट बैंक, शाखा साईबर कोषागार, देहरादून सम्बन्धित सदर कोषागारों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित करेंगे।
15. भारतीय स्टेट बैंक शाखा साईबर कोषागार, देहरादून द्वारा प्रतिदिन 8 PM से अगले कार्यदिवस के 8 PM तक ई–चालान द्वारा प्राप्त धनराशि का विवरण (स्क्रॉल) दूसरे कार्यदिवस के 11 AM तक अपलोड कर वित्तीय डाटा सेण्टर को उपलब्ध करायेगा। वित्तीय डाटा सेण्टर, देहरादून द्वारा मिलान करने के उपरान्त ई–चालान की सदर कोषागारवार सूची तैयार कर पुनः भारतीय स्टेट बैंक शाखा साईबर कोषागार, देहरादून को 2 PM तक उपलब्ध कराया जायेगा। तद्‌पोरान्त शीघ्र ही भारतीय स्टेट बैंक, साईबर कोषागार, देहरादून द्वारा सम्बन्धित सदर कोषागारों को स्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
16. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा साईबर कोषागार, देहरादून द्वारा नेट बैंकिंग से जमा चालानों का स्क्रॉल वर्तमान की भांति साईबर कोषागार को लेखांकन एवं मिलान हेतु प्रेषित किया जायेगा ।
17. आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों के सापेक्ष वापस (Refund) की जाने वाली धनराशियों से सम्बन्धित चालान/चालानों को आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापन किया जायेगा।
18. सभी विभाग अपनी विभागीय प्राप्तियों का मिलान अगले माह की 5 वीं तारीख तक ऑनलाईन करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक मिलान एवं सत्यापन न करने पर यह मान लिया जायेगा कि उनकी विभागीय प्राप्ति शुद्ध रूप से वर्गीकृत है तथा आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नहीं है । किसी भी प्रकार की त्रुटि की दशा में सम्बन्धित अहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

19. बैंक से प्राप्त स्क्रॉल व आईएफएसएस पोर्टल से जनरेट ई–चालान की रिपोर्ट में भिन्नता की दशा में कोषागारों द्वारा तत्काल डाटा सेण्टर/एसबीआई से ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क कर निदान कराया जायेगा।

20. ई–चालान सुविधा दिनांक 01.04.2021 से पूर्ण रूप से लागू होने के पश्चात् वर्तमान में चालानों के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

21. ई–चालान सुविधा दिनांक 01.04.2021 से पूर्ण रूप से लागू हो जाने के पश्चात् शासकीय प्राप्तियों हेतु प्रयुक्त 385 की मैनुअल व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। जमाकर्ता सीधे आईएफएमएस पोर्टल से ई–चालान जनरेट करेंगे।

22. उपर्युक्तानुसार ई–चालान सुविधा लागू होने के पश्चात् मैनुअल चालानों की धनराशि जमा करने की वर्तमान व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या–566 /XXVI(6)/430/एक/2016/2020, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकर, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
5. महालेखाकार, ऑडिट, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर।
10. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर/देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वित्त नियंत्रक/आहरण–वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. राज्य एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी)
अनु सचिव।

संख्याः–55/XXX-5/21–38(06)/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 02 फरवरी, 2021

विषयः प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष को सम्बन्धित विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रखने के उद्देश्य से अपने–अपने विभागों के अन्तर्गत सतर्कता अधिकारी नामित करते हुए उसकी सूचना निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–44/सतर्कता–2004 दिनांक 26.02.2004 एवं तद्सम्बन्धी अन्तिम अनुस्मारक पत्र दिनांक 29.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 26.02.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष को ही सम्बन्धित विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाता है। कृपया तद्नुसार नामित अधिकारियों से सम्बन्धी सूचना सतर्कता अनुभाग को निम्न प्रपत्र पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	दूरभाष संख्या/ई–मेल	
		कार्यालय	आवास
1	2	3	4

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक नामित अधिकारी/विभागाध्यक्ष अपेक्षित समय–सीमा (अधिकतम एक माह) के भीतर मांगी गयी वांछित सूचना सतर्कता अधिष्ठान/विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः– 55 /XXX-5/21–38(06)2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड देहरादून।

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या : 1478/XVII-C-1/21-09(17)/2004 T.C.-2

प्रेषक,

डॉ. एस. एस. संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

5. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.,
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक 29 अक्टूबर ,2021

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) के माध्यम से कार्मिक प्रायोजित करने की प्रक्रिया में आरक्षण प्राविधानों का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त चल रहे पदों पर अपरिहार्य परिस्थितियों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान लागू करने हेतु कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012-03(02)/2006 दिनांक 25.05.2012 द्वारा समस्त विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन कतिपय विभागों के द्वारा नहीं किया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागों के द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) के माध्यम से कार्मिकों के प्रायोजन हेतु मांग/प्रस्ताव प्रेषित करते समय कार्मिक अनुभाग-2,उत्तराखण्ड शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012-03(02)/2006 दिनांक 25.05.2012 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार आरक्षण सम्बन्धी प्राविधानों का संज्ञान लेकर तदनुसार पदों की श्रेणीवार गणना करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित किया जाय तथा प्रस्ताव के साथ इस आशय का भी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय कि पदों की गणना करते समय श्रेणीवार आरक्षण की व्यवस्था का पूर्ण परिपालन कर लिया गया है। तदनुसार प्रस्ताव उपनल को प्राप्त होने पर उपनल के स्तर पर पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए श्रेणीवार कार्मिकों के पंजीयन एवं प्रायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डॉ. एस. एस. संधु)
मुख्य सचिव।

संख्या : ——/XVII-C-1/21-09(17)/2004 T.C.-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा. सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1386/XVII-C-1/2021-9(17)2004 टी0सी0-2

प्रेषक

मेजर योगेन्द्र यादव
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2 मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।

3 समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

4 समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

5 प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2021**

विषय :- **उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 791/XVII-5/16-09(17)2004 टी.सी.-1 दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों की समस्त श्रेणियों में उन्हें पूर्व से अनुमन्य मानदेय के अतिरिक्त त्रैमासिक आधार पर अतिरिक्त धनराशि के रूप में मिलने वाले रू0 2800/- प्रतिमाह शुद्ध प्रोत्साहन भत्ते में अभिवृद्धि करते हुए, निम्नानुसार प्रतिमाह संशोधित प्रोत्साहन भत्ता त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विवरण	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि
कार्मिकों को देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	रू0 4800.00 प्रतिमाह	रू0 5800.00 प्रतिमाह
सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत	रू0 120.00	रू0 145.00
योग-	रू0 4920.00	रू0 5945.00
जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	रू0 886.00	रू0 1070.00
मुख्य नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि	रू0 5806.00	रू0 7015.00

2 उक्तवत् अभिवृद्धि शासनादेश निर्गत् होने की तिथि से प्रभावी होगी।

......2

3 यह आदेश वित्त विभाग, अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के अशा0संख्या–152(म0)XXVII(3)/2021 दिनांक 18-10-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या : / XVII-C-1/2021-9(17)2004 टी0सी0–2, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2 वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 एन.आई.सी.।
5 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

संख्या– 86 /XXVII(6)/टीसी.917/एक/2020/2022

प्रेषक,

सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, कोषागार/उपकोषागार, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 11 मई, 2022

विषय– पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने की प्रकिया के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड के कोषागारों, उपकोषागारों व भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या– 1088/XXVII(3)/2004, दिनांक 26 अगस्त, 2004, शासनादेश संख्या–0246/XXVII(7)/2011, दिनांक 01 नवम्बर, 2011, शासनादेश संख्या–131/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या–105/XXVII(6)एक/917/2013/2020, दिनांक 06 फरवरी, 2020 एवं शासनादेश संख्या–554/XXVII(6)/917/एक/2013/ 2020, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्प्रति कियान्वित किया जा रहा है।

2– उत्तराखण्ड के कोषागारों, उपकोषागारों व भुगतान एवं लेखा कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों द्वारा वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रकिया को अधिक प्रभावशाली एवं सुविधापूर्ण बनाये जाने हेतु निम्नलिखित निर्धारित प्रकिया को अपनाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. पेंशनर अपने घर से अथवा किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी) में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञाप संख्या–105, दिनांक 06.02.2020 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार ऑनलाईन जमा कर सकते हैं।
2. वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–554, दिनांक 07.12.2020 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक द्वारा विकसित पोस्ट इंफो एप (Post info app) के माध्यम से भी राज्य के पेंशनर/लाभार्थी वार्षिक सत्यापन हेतु अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
3. पेंशनर वार्षिक सत्यापन हेतु प्रदेश के किसी भी कोषागार/उपकोषागार व भुगतान एवं लेखा कार्यालय में उपस्थित होकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है। कोषागार/उपकोषागार व भुगतान एवं लेखा कार्यालय पेंशनर के उपस्थित होने पर आधार आधारित जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर पर बायोमैट्रिक्स डिवाईस के माध्यम से उनका वार्षिक सत्यापन करेंगे। जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेंशनर के वार्षिक सत्यापन न होने की दशा में (यथा बायोमैट्रिक्स

डिवाईस में पेंशनर के फिंगर प्रिण्ट identify नहीं होने या कोई अन्य समस्या की स्थिति में) पेंशनर का वार्षिक सत्यापन पेंशनर के आई0एफ0एम0एस0 डाटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 एवं कोषागार द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

4. कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय में पेंशनरों के ओ0टी0पी0 कोषाधिकारी तथा अप्रूवर–कोषागार/उपकोषागार व भुगतान एवं लेखा कार्यालय के अधिकारी यथा मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी, उपकोषाधिकारी पृथक–पृथक यूजर होंगे। कोषागार में मेकर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के आई0एफ0एम0एस0 डाटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के आधार पर सत्यापित किया जायेगा एवं जीवन प्रमाण पत्र मूल रूप में अपलोड किया जायेगा। चैकर तथा अप्रूवर द्वारा सम्पूर्ण जांच कर जीवन प्रमाण पत्र को सत्यापित किया जायेगा। अप्रूवर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करने के बाद पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित माना जायेगा। कोषागार द्वारा सत्यापित जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड करने की सुविधा आई0एफ0एम0एस0 मोबाइल एप पर भी उपलब्ध होगी।

5. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण एवं पोस्ट इन्फो एप के माध्यम से) की व्यवस्था सर्वसुलभ तथा प्रामाणिक होने के दृष्टिगत बैंक द्वारा प्रमाणिक जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

6. पेंशनर को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु अपना सही आधार संख्या कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय में अपडेट कराना अनिवार्य होगा। पेंशनर प्रदेश के किसी भी नजदीकी कोषागार/उपकोषागार व भुगतान एवं लेखा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना सही आधार नम्बर अपडेट करा सकते है।

7. लम्बी अवधि के लिये विदेश में प्रवास करने वाले पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र भारत के राजनयिक प्रतिनिधि अथवा आर0बी0आई0 अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किसी भी बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित कराकर संबंधित जनपदीय कोषागार को उपलब्ध करा सकते है। संबंधित जनपदीय कोषागार के कोषाधिकारी द्वारा वर्चुअल (Video Conferencing) के माध्यम से ऐसे समस्त जीवन प्रमाण पत्रों की पुष्टि की जायेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

%/ (सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय) 10.05.2021
सचिव।

'80695/2022

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–6

संख्या– 80695/XXVII(6)/ /2022

देहरादूनः दिनॉकः 02 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में दाखिला हेतु नामांकन किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित प्राविधान स्थापित किये जाते हैं:–

1 केवल ऐसे सरकारी अधिकारियों (जो ग्रेड पे–5400 अर्थात पे लेवल–10 अथवा इससे ऊपर के हों) के आवेदन–पत्र अग्रसारित किए जायेंगे, जो 05 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से सेवारत हों;

परन्तुक, देश से बाहर अध्ययन हेतु नामांकन होने की दशा में 5 वर्ष से पूर्व, परन्तु परिवीक्षा अवधि एवं न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात अध्ययन हेतु अवैतनिक असाधारण अवकाश पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. अध्ययन अवकाश सामान्य रूप से 12 महीने हेतु स्वीकृत किया जायेगा, परन्तु अपरिहार्य स्थिति एवं पाठ्यक्रम की प्रकृति के आधार पर अधिकतम 24 माह के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा।

3 अधिकारियों को श्रेष्ठतम एवं विश्वस्तरीय संस्थाओं में ही विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में दाखिला हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. पूरे सेवा अवधि में अधिकतम 24 माह तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा तथा किसी भी दशा में 24 माह से अधिक अध्ययन अवकाश कदापि स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5. ऐसे अधिकारियों के नामांकन अग्रसारित नहीं किये जायेंगे जिनके विरूद्ध सतर्कता जाँच/प्रशासनाधिकरण जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो।

6. ऐसे अधिकारियों के भी नाम संस्तुत नहीं किये जायेंगे, जिनके अध्ययन अवकाश पर जाने से पूर्व के पांच वर्ष की सेवा अवधि में सेवाभिलेख उत्तम स्तर से निम्न न हो अथवा जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

परन्तुक, देश से बाहर अध्ययन हेतु नामांकन होने की दशा में परिवीक्षावधि एवं दो वर्ष की सेवा अवधि के सेवाभिलेख उत्तम स्तर से निम्न न हो अथवा जिन्हें प्रतिकूल

Generated from eOffice by MANOJ SINGH, SO-MS, SO-FINANCE, Finance Department on 13/01/2023 12:33 PM

प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

7. सम्बन्धित अधिकारियों को कोर्स में जाने से पूर्व इस आशय का बाण्ड निष्पादित करना होगा कि कोर्स पूर्ण करने के बाद न्यूनतम 5 वर्ष तक राज्य सरकार में सेवा करेंगे तथा इस अवधि से पहले राजकीय सेवा छोड़ने पर कोर्स के समस्त व्यय एवं प्रदत्त वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।

8. अध्ययन हेतु इच्छुक अधिकारियों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 2, भाग–2 से 4 में वर्णित अध्ययन अवकाश, नियम 146 क के उप नियम 14 में उल्लिखित अर्द्धवेतन पर स्वीकृत होगा।

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 02-12-2022 15:40:00

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

संख्या– /2022, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अपर सचिव।

d from eOffice by MANOJ SINGH, SO-MS, SO-FINANCE, Finance Department on 13/01/2023 12:33 PM

I/96113/2023

संख्या-96113ई-47749

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-6 दिनांक: 03 फरवरी, 2023।

विषयः एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली (HRMS) मॉड्यूल में कार्मिकों के पदों के विवरण को अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड बजट मैनुअल-2012 के प्रस्तर-68 के अनुसार विभिन्न विभागों में राज्य कर्मचारियों के वेतनमानवार पदों के विवरण से सम्बन्धित बजट साहित्य के खण्ड-6 को अद्यतन स्थिति के अनुसार तैयार किये जाने एवं आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही वेतन आहरण के दृष्टिगत् विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय ढांचे के अनुसार अद्यतन स्वीकृत पदों के सापेक्ष पद के संवर्ग, पदनाम, श्रेणी, स्वीकृत पदों की संख्या, स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं वेतनमान इत्यादि को IFMS के अन्तर्गत HRMS मॉड्यूल में अपडेट किये जाने की आवश्यकता है। पदों से सम्बन्धित विवरण को आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में अपडेट किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

1. विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय ढांचे के अनुसार अद्यतन स्वीकृत पदों के सापेक्ष पद के संवर्ग (हिन्दी एवं अंग्रेजी), पदनाम (हिन्दी एवं अंग्रेजी), श्रेणी, स्वीकृत पदों की संख्या, स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं वेतनमान का आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में अंकन तथा तीनों स्तर (Operator, Supervisor, Officer) से अप्रूव किया जायेगा एवं सम्बन्धित शासनादेश/नियमावली भी अनिवार्य रूप से अपलोड की जायेगी। इस हेतु आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में यथोचित प्राविधान निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।
2. वित्तीय डाटा सेण्टर, देहरादून द्वारा उपरोक्तानुसार विभाग द्वारा अंकित किये गये विवरण का अपलोड किये गये शासनादेश/नियमावली से मिलान कर अप्रूव किया जायेगा। किसी भी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में संशोधन हेतु विभागाध्यक्ष को ऑनलाईन आपत्ति सहित वापस किया जायेगा।
3. विभागाध्यक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये पदों के विवरण को आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में कर्मचारी के Payroll के अन्तर्गत Employee Master में अपडेट किया जायेगा। अतः विभागाध्यक्षों द्वारा पदों से सम्बन्धित उपरोक्त विवरण को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही तदनुसार विभाग/आहरण वितरण अधिकारी के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों का आगामी माह के वेतन का आहरण किया जा सकेगा।
4. विभाग/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये पदों के विवरण के अनुसार ही आई.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट

I/96113/2023

करें।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 03-02-2023 11:05:57
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–102608/XXVII(6)/ई0–49706/2023

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 28 फरवरी, 2023।

विषय–विभागों में आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त (बजट) अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–1–1704/दस/1999, दिनांक 21.04.1999 तथा वित्त (वै0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–23/XXVII(7)/2007, दिनांक 20.04.2007 का (छाया प्रतियां संलग्न) संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा विभागों में आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में वांछित अर्हता का उल्लेख करते हुए, उसका अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उक्त के अतिरिक्त **वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि** लेखा संगठन के प्रधान को भुगतान तथा प्रत्युद्धरण का कार्य न्यस्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी मामले में विभाग के प्रधान यह सोचते हैं कि इस तरह के कार्य किसी विभागीय लेखाकार को सुपुर्द करना उचित है तो वह मामले को आदेश हेतु सरकार के वित्त मंत्रालय को निर्दिष्ट करेंगे।

3– उक्तानुसार विद्यमान सुस्पष्ट व्यवस्था के बावजूद विभिन्न स्रोतों से यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि विभागों में तैनात वित्त सेवा के अधिकारियों द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) के दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है, जो कि वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी. एवं इस संबंध में विद्यमान शासनादेशों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त कतिपय अधिकारी समूह 'ख' के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने से पूर्व ही डी0डी0ओ0 के दायित्व का निर्वहन कर रहे है। यह स्थिति राजकीय वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

4– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (बजट) अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–1–1704/दस/1999, दिनांक 21.04.1999 एवं वित्त (वै0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–23/XXVII(7)/2007, दिनांक 20.04.2007 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी. की व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा ऐसे आहरण–वितरण अधिकारी जो उक्त शासनादेश एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में वर्णित प्राविधानों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वह समस्त अधिकारी आहरण–वितरण के प्रभार से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे, इसके लिए पृथक से आदेश करने अथवा कार्यमुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5– उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या से शासन को 03 दिवस में अवगत कराया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

Printed from eOffice by RAJESH BAHUGUNA, RO-RB, RO-FINANCE, Finance Department on 28/02/2023 03:46 AM

File No. FIN6-ISSU/25/2023-XXVII-6-Finance Department (Computer No. 49706)
/08/2023
/2608/2023

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
(आनन्द बर्द्धन) Date: 28-02-2023 14:21:50
अपर मुख्य सचिव।

I/109178/2023

संख्या– 109178 /XXVII(6)/ई0–41280/2023

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस0, संधु
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून: दिनांक: 25 मार्च, 2023।

विषय– राज्य के समस्त शासकीय विभागों में आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में आई0एफ0एम0एस0 प्रणाली को लागू किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–02 (2) में कार्मिकों के अवकाश के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान हैं:–

(2) अधिष्ठान से संबंधित कार्य के लिए दिशा–निर्देश:–

1. प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा अपने अधिष्ठान से संबंधित कर्मचारियों के दावों, अवकाश, अग्रिम स्वीकृति करना, सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिकाओं आदि के सम्पादन में वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रकिया के स्थान पर आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से किया जाएगा।
2. प्रत्येक कार्मिक के सेवा पुस्तिका में दर्ज सेवा संबंधी समस्त अभिलेखों यथा नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, पदावनति आदेश, निलम्बन/स्थानान्तरण आदेश, एल0पी0सी0, समयमान वेतनमान, ए0सी0पी0, एम0ए0सी0पी0, स्थानान्तरण आदेश, विभिन्न प्रकार के अग्रिमों, कटौतियों उपार्जित अवकाश के आदेश एवं आवेदन पत्रों आदि को स्कैनर के माध्यम से स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0 फार्मेट में अपलोड किया जायेगा। सेवापुस्तिका में अंकित समस्त सेवा–संबंधी पूर्ण विवरण/सूचनाओं (नियुक्ति से लेकर अद्यावधिक रूप से) को ऑनलाईन भर कर ई–सेवा पुस्तिका तैयार की जायेगी। इसी प्रकार सिस्टम से ही ई–जी0पी0एफ0 पास बुक भी तैयार की जायेगी।
3. कार्मिकों को स्वयं के क्लेम/अग्रिम/अवकाश आदि (जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा आदि) हेतु ऑनलाईन स्वयं आवेदन करना होगा।
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्मिकों के स्वयं के दावे/अग्रिम (जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा आदि) के ऑनलाईन आवेदनों की जांच/परीक्षण का कार्य ऑनलाईन ही किया जायेगा। इस प्रकार से प्रस्तुत क्लेम/अग्रिम की ऑनलाईन स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान कर दिये जाने के उपरांत तद्विषयक दावों/अग्रिमों के देयकों को संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी एवं उसके अधीनस्थों द्वारा ऑनालाईन तैयार किया जायेगा।

Generated from eOffice by MANOJ SINGH, SO-MS, SO-FINANCE, Finance Department on 24/03/2023 01:54 PM

I/109178/2023

2– अतः उक्त संबंध में आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 के माध्यम से फेशलेस, कैशलेस एवं पेपरलेस व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तथा भविष्य में एच0आर0एम0एस0 प्रणाली को कार्मिकों के वेतन से लिंक किया जाना प्रस्तावित होने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिकों के समस्त अवकाश संबंधी प्रकरणों को **दिनांक 01.04.2023** से आई0एफ0एम0एस0 के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल के माध्यम से ही व्यवहृत कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 24-03-2023 09:46:55

(डॉ0 एस0एस0 संधु)
मुख्य सचिव

संख्या– 109/78 /XXVII(6)/ई0–41280/2023

प्रतिलिपिः–निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्मिकों के वेतन को आई0एफ0एम0एस0 के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल से लिंक किये जाने के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Surendra Narayan Pandey
Date: 24-03-2023 12

(एस0एन0 पाण्डे)
सचिव।

Generated from eOffice by MANOJ SINGH, SO-MS, SO-FINANCE, Finance Department on 24/03/2023 01:54 PM

महत्वपूर्ण / ई–मेल
संख्या– 120125 / 2023

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3.समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त अधिकारी / वरिष्ठ वित्त अधिकारी / वित्त अधिकारी।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून: दिनांकः 09 मई, 2023।

विषय– आहरण–वितरण अधिकारी के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–102608 / XXVII (6) / ई–49706 / 2023, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्त (बजट) अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–1–1704 / दस / 1999, दिनांक 21.04.1999 एवं वित्त (वे0आ0–सा0 नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सख्ंया– 23 / XXVII(7) / 2007, दिनांक 20.04.2007 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी की व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किये जाने तथा ऐसे आहरण–वितरण अधिकारी जो उक्त शासनादेश एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में वर्णित प्राविधानों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वह समस्त अधिकारी आहरण–वितरण के प्रभार से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे, इसके लिए पृथक से आदेश करने अथवा कार्यमुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, सम्बन्धी निर्देश निर्गत किए गये।

3– उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी विभाग में पूर्व से आहरण–वितरण कार्य हेतु शासन स्तर से पदवार (पदनाम से) डीडीओ कोड आंवटित किया गया है, अर्थात आहरण–वितरण का कार्य किसी पद में निहित हो, तो पूर्व की भाँति ही उक्त पदधारक द्वारा आहरण वितरण का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– यदि किसी विभाग में आहरण–वितरण का कार्य करने वाले अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा अन्य कारणों से आहरण–वितरण का कार्य अवरूद्ध हो जाता है, तो विभागों को आबंटित डीडीओ कोड से ही जिलाधिकारी द्वारा आहरण वितरण का कार्य किये जाने हेतु अपने स्तर से किसी सक्षम अधिकारी को शासनादेश संख्या–102608 / XXVII (6) / ई–49706 / 2023, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के अनुक्रम में नामित किया जायेगा, जिससे की आहरण–वितरण का कार्य विभागों में सुगमता से संचालित हो सकें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 09-05-2023 11:51:04
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 120125 /2023

Generated from eOffice by MANOJ SINGH, SO-MS, SO-FINANCE, Finance Department on 09/05/2023 09:47 AM

I/120794/2023

संख्या : / XVII-C-1 / 2023–9(17) / 2004टी0सी0–2

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1 समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2 मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।

3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

5 प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल) देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 10 मई, 2023

विषय :– **उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को प्रतिमाह भुगतान किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 1929 / XVII-C-1 / 2021–9(17) / 2004 टी0सी0–2 दिनांक 06.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह "प्रोत्साहन भत्ते" की धनराशि को भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं।

2– मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के कम में उक्त शासनादेश दिनांक 06.01.2022 के प्रस्तर–1 में अंकित तालिका को संशोधित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह देय "प्रोत्साहन भत्ते" की धनराशि को निम्नानुसार भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क.सं.	विवरण	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि
1	कार्मिकों को देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	रूपये 4,800.00	रूपये 5,800.00
2	ई0एस0आई0 3.25 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता द्वारा देय)	रूपये 156.00	रूपये 189.00
3	योग (क.सं. 1 & 2)	रूपये 4,956.00	रूपये 5,989.00
4	सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत (क.सं. 3 का)	रूपये 124.00	रूपये 150.00
5	योग (क.सं. 3 & 4)	रूपये 5,080.00	रूपये 6,139.00
6	G.S.T. 18 प्रतिशत (क.सं. 5 का)	रूपये 914.00	रूपये 1,105.00
7	मुख्य नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि का योग (क. सं. 5 & 6 का)	रूपये 5,994.00	रूपये 7,244.00

3 – शासनादेश संख्या–1929 दिनांक 06.01.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त के शेष प्रतिबंध / शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

Generated from eOffice by ARVIND KUMAR DIWAKAR, SO-Soldier Welfare Section-AKD, SECTION OFFICER, Soldier Welfare Department on 10/05/2023 06:11 PM

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0 संख्या–I/118063/2023(Computer No. 16329) दिनांक 28.04.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 10-05-2023 12:44:30

/127836/2023

संख्या–127836/XXVII(6)/ई0–41280/2023

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस0 संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 दिनांकः 08 जून मई, 2023

विषयः– राज्य के समस्त शासकीय विभागों में IFMS पोर्टल के HRMS मॉड्यूल को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–109178/2023, दिनांक 24.03.2023 द्वारा राज्य में आई0एफ0एम0एस0 प्रणाली को लागू किये जाने विषयक वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–132, दिनांक 29.03.2019 की अपेक्षानुसार कार्मिकों के दावों/अवकाश, अग्रिम स्वीकृति करना, सेवापुस्तिका एवं चरित्र पंजिकाओं आदि के सम्पादन में वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रकिया के स्थान पर IFMS पोर्टल के HRMS मॉड्यूल के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24.03.2023 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

2– विदित है कि वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–109178/2023, दिनांक 24.03.2023 के द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं:–

(2) अधिष्ठान से संबंधित कार्य के लिए दिशा–निर्देशः–

1. प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा अपने अधिष्ठान से संबंधित कर्मचारियों के दावों, अवकाश, अग्रिम स्वीकृति करना, सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिकाओं आदि के सम्पादन में वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
2. प्रत्येक कार्मिक के सेवा पुस्तिका में दर्ज सेवा संबंधी समस्त अभिलेखों यथा नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, पदावनति आदेश, निलम्बन/स्थानान्तरण आदेश, एल0पी0सी0, समयमान वेतनमान, ए0सी0पी0, एम0ए0सी0पी0, स्थानान्तरण आदेश, विभिन्न प्रकार के अग्रिमों, कटौतियों उपार्जित अवकाश के आदेश एवं आवेदन पत्रों आदि को स्कैनर के माध्यम से स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0 फार्मेट में अपलोड किया जायेगा। सेवापुस्तिका में अंकित समस्त सेवा–संबंधी पूर्ण विवरण/सूचनाओं (नियुक्ति से लेकर अद्यावधिक रूप से) को ऑनलाईन भर कर ई–सेवा पुस्तिका तैयार की जायेगी।

इसी प्रकार सिस्टम से ही ई–जी0पी0एफ0 पास बुक भी तैयार की जायेगी।

3. कार्मिकों को स्वयं के क्लेम/अग्रिम/अवकाश आदि (जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा आदि) हेतु ऑनलाईन स्वयं आवेदन करना होगा।
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्मिकों के स्वयं के दावे/अग्रिम (जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा आदि) के ऑनलाईन आवेदनों की जांच/परीक्षण का कार्य ऑनलाईन ही किया जायेगा। इस प्रकार से प्रस्तुत क्लेम/अग्रिम की ऑनलाईन स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान कर दिये जाने के उपरांत तद्विषयक दावों/अग्रिमों के देयकों को संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी एवं उसके अधीनस्थों द्वारा ऑनालाईन तैयार किया जायेगा।

3– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि IFMS पोर्टल के HRMS मॉड्यूल का प्रयोग किये जाने विषयक वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के उक्त पत्र दिनांक 24.03.2023 का पूर्णतः अनुपालन करते हुए वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 05-06-2023 18:54:37

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 संधु)
मुख्य सचिव।

संख्या– **/XXVII(6)/ई0–41280/2023तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्मिकों के वेतन को आई0एफ0एम0एस0 के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल से लिंक किये जाने के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

122/2024

ई–मेल
संख्या– 181422 / ई-64110 / 2023

प्रेषक,

आनंद बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 11 जनवरी, 2024।

विषय– उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य पे मैट्रिक्स के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों हेतु अधोलिखित तालिकानुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य पे मैट्रिक्स	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	वेतन लेवल–5 तक (अपुनरीक्षित ग्रेड वेतन	रू0 350	रू0 175	रू0 175	रू0 5,00,000/–

	रू0 2800 तक)				
2.	वेतन लेवल--5 से वेतन लेवल--10 तक (अपुनरीक्षित ग्रेड वेतन रू0 2801 से ग्रेड वेतन 5400 तक)	रू0 700	रू0 350	रू0 350	रू0 10,00,000/–
3.	वेतन लेवल–10 से अग्रेत्तर वेतन लेवल (अपुनरीक्षित ग्रेड वेतन रू0 5401 से अग्रेत्तर ग्रेड वेतन)	रू0 1400	रू0 700	रू0 700	रू0 20,00,000/–

2– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य पे मैट्रिक्स के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा:–

1. उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती जनवरी, 2024 हेतु देय वेतन से लागू होगी।
2. पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के प्ररिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा।
3. वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जानी वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।
4. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व शासनादेश, इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 11-01-2024 11:16:29
(आनंद बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड
SIEMAT
राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड
SIEMAT